१

रूप विज्ञान

इकाई की रूपरेखा :

१.० इकाई का उद्देश्य
१.१ प्रस्तावना
१.२ रूप विज्ञान का स्वरूप
१.३ शब्द और रूप
१.४ अर्थ तत्व और संबंध तत्व
१.५ संबंध तत्व के प्रकार
१.६ रूप परिवर्तन की दिशाएँ
१.७ रूप परिवर्तन के कारण
१.८ रूपिम और स्वरूप
१.९ सारांश
१.१० अतिलघुत्तरीय प्रश्न
१.११ लघुत्तरीय प्रश्न
१.१२ दीर्घोत्तरी प्रश्न
१.१३ संदर्भ ग्रंथ

१.० इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ के अध्ययन के बाद निम्नलिखित मुद्दों से आपका परिचय होगा -

- रूप विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और महत्वपूर्ण भागों से आपका परिचय प्राप्त होगा।
- रूप विज्ञान के अर्थ, भेद, शब्द और रूप में अंतर और संबंध तत्व के प्रकार से परिचय प्राप्त कर पाएँगे।
- रूप परिवर्तन की दिशाएँ एवं कारण को जान पाएँगे।
- रूपिम और संरूप की जानकारी प्राप्त होगी।
- रूपिम के भेद को जान पाएँगे।

munotes.in

१.१ प्रस्तावना

रूपिम और वाक्यविज्ञान, भाषाविज्ञान की एक महत्वपूर्ण इकाई है। रूपिम को रूपतत्व, सम्बन्धतत्व, रूपगाम, मर्षिम आदि नामों से जाना जाता है। अँग्रेजी में इसे Mor Pheme कहते है। इसी प्रकार वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। वाक्य ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य के द्वारा ही संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति संभव है। अतः वाक्य भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होता है। परंतु अर्थ की दृष्टि से वाक्य की पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं है। प्रायः हम अपने भावों को कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भाव अपने में पूर्ण हैं और कई वाक्य मिलकर उसे व्यक्त करते हैं।

१.२ रूप विज्ञान का स्वरूप

रूप विज्ञान को अँग्रेजी में Morphology कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में पद-विज्ञान कहते थे। यह भाषाविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत रूपों (पद) का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा की इकाई वाक्य होती है। वाक्य में शब्द और शब्द में ध्वनियाँ होती है। एक या अनेक ध्वनियों से शब्द तथा एक या अनेक शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है। भाषा की व्याकरणात्मक संरचना दो प्रकार की होती है।

१) रूपात्मक संरचना
२) वाक्यात्मक संरचना

रूप भाषा की व्याकरणात्मक अभिव्यक्ति का लघुतम माध्यम है। वस्तुतः रूप विज्ञान की अवधारणा पर ही व्याकरण की अवधारणा स्थित है। शब्दों की रचना और भाषा में उनका प्रयोग रूप विज्ञान के विषय है और इन्हीं पर रूपात्मक भाषाओं का व्यापार टिका हुआ है। संसार की अधिकांश भाषाएँ रूपात्मक है। अतः रूप विज्ञान का महत्व अत्यधिक है।

१.३ शब्द और रूप (शब्द) :

रूप या पद क्या है? रूप या पद ध्वनियों का वह संयोग है जिसका अर्थ निश्चित होता है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे रूप कहा जाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि पदों के प्रत्येक वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे - 'राम' के र, आ, म्, अ का कोई अलग अर्थ नहीं है।

कोश - ग्रंथों में दिए गए शब्द तब तक सार्थक नहीं होते, जब तक उसका किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। केवल 'राम' और 'पुस्तक' कहने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। 'राम पुस्तक पढ़ता है' यह एक वाक्य है। इस वाक्य में 'राम' पुस्तक और 'पढ़ना' शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण सार्थक है। अतः वाक्य को ही भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है।

पंतजलि का भी यही मत है। वे कहते हैं कि वास्तविक सता वाक्य की है, पदों की नहीं।

कुछ लोग रूप या पद तथा शब्द को एकार्थक समझते है, पर ऐसा नहीं है। सार्थक मूल रूप को शब्द कहते हैं। संस्कृत में मूल शब्द को प्रकृति या प्रतिपादिक कहा जाता है। कोश में मिलने वाले शब्द प्रतिपादिक होते हैं।

ऊपर कहा गया है कि सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। इसे मूल रूप समझना चाहिए। कोई भी शब्द जब तक पद नहीं बन जाता तब तक इसका प्रयोग नहीं हो सकता।

संस्कृत में कहा गया है :

“न केवल प्रकृति : प्रयोक्तण्या,
नापि केवलः प्रत्ययः अपदं न प्रयुज्जीता”

- (महाभाष्य)

अर्थात न केवल प्रकृति (मूल शब्द, धातु) का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का अपद (शब्द को पद बनाए बिना) का प्रयोग न करें। इस बात को यों समझाया जा सकता है।

शब्द	पद
मूल शब्द (प्रकृति, प्रतिपादिक, धातु)	प्रकृति + प्रत्यय = पद

इससे स्पष्ट है कि प्रकृति और प्रत्यय के योग से पद बनता है और वाक्य में दोनों मिलकर प्रयुक्त होते है। अकेले कोई भी नहीं आता।

महर्षि पाणिनि का कहना है कि जिन शब्दों के अंत में सुप (विभक्ति प्रत्यय) और तिङ् (क्रिया के प्रत्यय) लगते हैं वे पद कहे जाते हैं। पद बनने के लिए शब्द में विभक्ति या क्रिया प्रत्यय लगने चाहिए।

महर्षि पाणिनि ने - ‘सुपतिडन्त पद’ कहा है। महर्षि पाणिनि का कहना है कि जिन शब्दों के अंत में सुप (विभक्ति प्रत्यय) और तिङ् (क्रिया के प्रत्यय) लगते है वे पद कहे जाते हैं। पद बनने के लिए शब्द में विभक्ति या क्रिया प्रत्यय लगने चाहिए। ‘सुप्’ प्रत्ययों को जोडने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पद बनते हैं और तिङ् प्रत्ययों को जोड़ने से क्रियापद बनते हैं। संस्कृत में ‘पत्र’ एक शब्द है। इस रुप में यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। परंतु ‘पत्रं पतति’ वाक्य में पत्र पद है।

इसका तात्पर्य यह है कि पद बनने के लिए शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होना पड़ता है। फिर चाहे वह वाक्य एक शब्द का बना हो या अनेक शब्दों का, क्योंकि प्रत्येक वाक्य एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द अनेक शब्दों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है।

munotes.in

ऊपर लिखित बातों को संस्कृत तथा हिंदी के एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे -

"माषेषु अश्व बहनाति हरि"

संस्कृत भाषा के इस वाक्य में - माष, अश्व, बहन, हरि चार शब्द है। इन्हें शब्द मात्र या शुद्ध शब्द कहिए, परंतु ये चारों शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर परस्पर सम्बन्ध हो गए है। इनका यह पारस्परिक सम्बन्ध कतिपय प्रत्ययों के द्वारा स्पष्ट हुआ है। सुप्, अम्, तिङ् और सु ये प्रत्यय क्रमशः माष, अश्व, बहन और हरि शब्दों से जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का स्वरूप व स्थिति स्पष्ट करते हैं। हरि 'कर्ता' है। वह घोड़ा बाँधने की क्रिया करता है। घोड़ा बाँधा जाता है और वह माष (उड़द) के खेत में बाँधा जाता है।

"राम ने रावण को मारा"

हिंन्दी भाषा के इस वाक्य में क्रमशः राम, रावण, बाण और मार शब्द है, ओर ने, को, से और आ सम्बन्ध तत्व है।

१.४ अर्थ तत्व और संबंध तत्व

वाक्य में दो तत्व होते है अर्थतत्व और सम्बन्धतत्व। दोनों में अर्थतत्व मुख्य है। सम्बन्धतत्व विभिन्न अर्थतत्वों को जोड़ता है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध बताता है। उदाहरण - "राम ने रावण को बाण से मारा"। इस वाक्य में चार अर्थतत्व हैं - राम, रावण, बाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए इन चारों में सम्बन्ध तत्व की आवश्यकता है। अतः यहाँ चार सम्बन्ध हैं - 'ने' बताता है कि राम बाण मारने वाला है; अतः वह कर्ता है; 'को' बताता है कि बाण जिसे लगा वह, रावण है। 'से' बताता है कि मारने का उपकरण 'बाण' है। 'मारना' से 'मारा' बनाया गया है। इसमें सम्बन्धतत्व मिल गया है। सम्बन्धतत्व स्पष्ट पहचाना जाता है। जैसे - ने, को, से और कहीं वह शब्द घुल-मिल जाता है। जैसे 'मारा' में।

अर्थतत्व और सम्बन्धतत्व को दूसरे उदाहरण से यों समझाया जा सकता है। अर्थतत्व उन तत्वों को कहते हैं, जो मानसिक प्रतिमाओं के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं।

जैसे - "गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछा।"

इस वाक्य में गुरु, शिष्य, प्रश्न तथा पूछना अर्थतत्व है। सम्बन्धतत्व उन तत्वों को कहते है, जो उक्त प्रकार के व्यक्त भावों में परस्पर सम्बध की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे - ने, से, आ आदि। केवल अर्थतत्व पूरे भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। अतः सम्बन्धतत्वों की आवश्यकता होती है। 'ने' लगाने से ज्ञात होता है कि गुरु कर्ता है, से लगाने से ज्ञात होता है कि शिष्य कर्म है, पूछना (पूछा) (आ) से ज्ञात होता है कि भूतकाल की क्रिया है। इसी प्रकार संस्कृत का वाक्य ले सकते है - 'वृक्षात पुष्पम् आनय'। इस वाक्य में अर्थतत्व है - वृक्ष, पुष्प आ + नी तथा सम्बन्धतत्व है - आत्, अम्, लोट।

munotes.in

१.५ सम्बन्धतत्व के प्रकार :

विश्व की समस्त भाषाओं के विश्लेषण से सम्बन्धतत्वों के प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। वे इस प्रकार है।

१) शून्य - सम्बन्धतत्व :

इसे Zero element कहते हैं। शून्य तत्व से अभिप्राय है कि शब्द या धातु अपने मूल रूप में रहते हुए व्याकरणिक सम्बन्धों को बताते हैं। जैसे - बालिका, मधु, सरित्, जगत् आदि। ये प्रथमा एक वचन के रूप हैं। कर्ता अर्थ बताते है तथा इनके अन्त में कारक चिह्नन नहीं लगते। अतः इन्हें शून्य तत्व कहते हैं। हिन्दी में आज्ञा अर्थ में क्रियापद प्रायः एक वचन आज्ञा अर्थ के रूप में हैं। तू पढ़, तू आ, तू लिख आदि। दूसरे शब्दों में यों कह सकते है कि कभी-कभी शब्दों में सम्बन्धतत्व नहीं जोड़ते। उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। जैसे -

अँग्रेजी क्रिया - I go, you go क्रिया का एक वचन, बहु वचन We go, they go समान

यहाँ एक वचन तथा बहु वचन समान हैं, पर अर्थ को देखते हुए शून्य सम्बन्धतत्व हैं।

हिन्दी	एक वचन	बहु वचन
	अध्यापक	अध्यापक + ...
	राजा	राजा + ...
	घर	घर + ...

२) शब्द - स्थान :

संसार की समस्त भाषाओं के वाक्यों में पदों का क्रम निश्चित होता है। तद्नुसार ही उसका अर्थ समझा जाता है। जैसे हिन्दी का पदक्रम या शब्दक्रम है - कर्ता - कर्म - क्रिया। किंतु अंग्रेजी में क्रम है - कर्ता - क्रिया - कर्म। यदि पदों या शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। जैसे -

Ram killed Ravana   राम ने रावण को मारा
Ravana killed Rama   रावण ने राम को मारा।

केवल स्थान बदलने से पूरा अर्थ बदल गया। शब्दों का स्थान भी कभी - कभी सम्बन्धतत्व का काम करता है। जैसे -

राज सदन - राजा का घर
सदन राज - घरों का राजा (अच्छा, बड़ा)
ग्राममल्ल - गाँव का पहलवान
श्यामघनः - काला बादल आदि

संस्कृत और हिंदी में समस्त (समास - युक्त) पदों में शब्दों का स्थान सम्बन्धतत्व का काम करता है। स्थान-भेद से अर्थ में, अंतर आ जाता है। शब्द - स्थान बदलने से उपमेय उपमान बन जाता है। तो कभी उपमान उपमेय बन जाता है।

मुखं कमलम् इव सुन्दरम्।(मुख उपमेय, कमल उपमान)
कमलं मुखम् इव सुन्दरम। (कमल उपमेय, मुख उपमान)

दुसरे वाक्य में मुख कमल के समान सुन्दर नहीं रहा, अपितु कमल ही मुख के तुल्य सुन्दर हो गया।

चीनी भाषा में क्रम है - कर्ता - क्रिया - कर्म। केवल स्थान बदलने से कर्ता कर्म हो जाता है और कर्म कर्ता। जैसे -
वो त नि - मैं तुम्हें मारता हूँ। वि त वो - तू मुझे मारता है।

३) स्वतन्त्र शब्द :

संसार में कतिपय ऐसी भाषाएँ हैं। जिनमें स्वतंत्र शब्द सम्बन्धतत्व का काम करते है। हिन्दी में परसर्ग (ने, को, से, में, पर आदि) इसी वर्ग में आते हैं। इनका काम दो या अधिक शब्दों का वाक्य या वाक्यांशो से या शब्द - समूह से सम्बन्ध दिखाना है।

अँग्रेजी में To From, For, of, in, on, at इसी वर्ग के है।

संस्कृत में इति, आदि, एवं, तथा, वा, कृते इसी श्रेणी के शब्द हैं।

चीनी भाषा में रिक्त (Empty) और पूर्ण (Full) दो प्रकार के शब्द होते है। रिक्त का प्रयोग सम्बन्धतत्व दिखाने के लिए होता है। जैसे -

ल्सि = का
यु = को
त्सुंग = से
लि = पर आदि

कभी-कभी दो स्वतंत्र शब्द भी सम्बन्धतत्व का काम करते हैं। जैसे जब मैं सेवा निवृत हो जाऊँगा, तब विदेश जाऊँगा। इसी प्रकार यदि ... तो यद्यपि... तथापि, ज्यों ...त्यों, हाँलाकि ... मगर।

अँग्रेजी If.... them, neither.... nor ये सभी शब्द स्वतंत्र सम्बन्धदर्शी हैं।

४) आंतरिक परिवर्तन :

शब्दों और धातुओं में उनके अंदर कुछ परिवर्तन कर देने से अर्थ में अंतर आ जाता है। ये तीन प्रकार का है। क) स्वर परिवर्तन ख) व्यंजन परिवर्तन ग) स्वर - व्यंजन परिवर्तन।

क) स्वर परिवर्तन :

केवल स्वरों में परिवर्तन कर देने से कभी-कभी सम्बन्धतत्व प्रकट किया जाता है। इसे अपश्रुति भी कहते हैं। जैसे -

अँग्रेजी	Sing	Sang Sung
	Find	Found
	Run	Ran
जर्मन	gehen (जाना)	ging (गया)
	geben (देना)	gaben (दिया)
संस्कृत	पुत्र	पौत्र
	कुन्ती	कौन्तेय
	सुभद्रा	सौभद्र
हिन्दी	मामा	मामी
	चाचा	चाची
	नाना	नानी

अरबी - फारसी में अंतर्वर्ती स्वर - परिवर्तन से अर्थ बदल जाता हैं -
जैसे - क् त ब् (लिखना) से किताब, कातिब (लिखने वाला), कुतुब (पुस्तके)
क्त्ल (मासा) से कातिल (मारने वाला)
कितात (युद्ध) कतील (जो मारा गया)

ख) व्यंजन - परिवर्तन

व्यंजन परिवर्तन से भी अर्थ बदल जाता है। जैसे -
भुज् (भक्ष्य) - भोग्य (उपभोग योग्य)
Send - भेजना, Sent - भेजा

ग) स्वर - व्यंजन परिवर्तन

स्वर और व्यंजन परिवर्तन से भी अर्थ बदल जाता है।

५) ध्वनि द्विरूक्ति

अनेक भाषाओं में पूरे अंग या उसके अंश की द्विरूक्ति या आवृति सम्बन्धतत्व का काम करती है। संस्कृत में धातु आदि की द्विरूक्ति (दो बार पढ़ना) में प्रथम अंश को अभ्यास कहते हैं। संस्कृत में - द्विरूक्ति से अर्थ में अंतर हो जाता है। जैसे -

दृश्य - देखना, ददर्श - देखा
पठ - पढ़ना, पपाठ - पढ़ा

६) आगम :

शब्दों और धातुओं में उनसे पहले, मध्य, अन्त में कुछ सम्बन्धतत्व जुड़ जाते हैं। उन्हें आगम कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं - १. आदि सर्ग, २. मध्य सर्ग, ३. अंत सर्ग

७) ध्वनि विनियोजन :

कभी - कभी ध्वनियों को घटाकर सम्बन्धतत्व का काम किया जाता है। फ्रेंच भाषा का उदाहरण भाषाविद 'Nida' ने दिया है।

स्त्रीलिंग		पुल्लिंग	
उच्चरित रूप	लिखित रूप	उच्चरित	लिखित
Sul	Souls (पी)	Su	Soul
Ptit	Petite	Pti	Petit

८) स्वराघात और लय :

स्वाराघात और लय, तान भी सम्बन्धतत्व का काम करते हैं। इससे अर्थ - भेद हो जाता हैं। इसके लिए संस्कृत का 'इन्द्रशत्रु' शब्द उत्तम उदाहरण है। इस शब्द का अंतिम वर्ण 'त्रु' उदात्त होने पर अर्थ होगा इन्द्र का शत्रु (वृत्र), आदि वर्ण 'इ' पर उदात्त होगा तो अर्थ होगा - इन्द्र है शत्रु (नाशक) जिसका, वह।

१.६ रुप-परिवर्तन की दिशाएँ :

मनुष्य हमेशा सरलता और सहजता का पुजारी रहा है। जब भाषा में किसी एक शब्द के अपवाद रूप में पाये जाने वाले अनेक अनेक रूप मस्तिष्क के लिए बोझ हो जाते हैं तब हम उनके रुपों का एकीकरण या सरलीकरण करते हैं। रूप परिवर्तन के कारणों के फलस्वरूप शब्दों में अनेक प्रकार का विकार आ जाता है। यह रूप विकार मुख्य रूप से निम्न दिशाओं में होता है - भोलानाथ तिवारी के अनुसार रुप परिवर्तन की दिशाएँ इस प्रकार है -

१) पुराने सम्बन्धतत्व का लोप तथा नए का प्रयोग :

ध्वनि परिवर्तन से प्रायः पुराने सम्बन्धतत्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नए सम्बन्धतत्व जोड़े जाने लगते हैं और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगते हैं। संस्कृत रामः, राम, रामस्य, रामे आदि के स्थान पर आज राम ने राम को, राम का, राम में आदि का प्रयोग इसी का उदाहरण है।

२) सादृश्य के कारण नए रूपों का आगमन :

हिन्दी में बोलचाल में 'चलिए' आदि के सादृश्य पर 'किया' की जगह 'करा' 'कीजिए' की जगह 'करिए' का प्रयोग होता है। यही स्थिति संस्कृत में भी देखी जा सकती है। संस्कृत 'अग्रे' होना चाहिए था, किन्तु प्राकृत में 'अग्गिस्स' मिलता है। इससे स्पष्ट है कि अकारान्त शब्दों का प्रत्यय 'स्स' सादृश्य के कारण आ गया है।

३) अतिरिक्त प्रत्ययों का प्रयोग :

इसमें एक प्रत्यय के रहते हुए दूसरे अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। जैसे - जवाहरात - जवाहरतों। यहाँ ब. व. का प्रत्यय 'आत' रहते हुए भी 'ओ' का अतिरिक्त प्रयोग हुआ है। ऐसे ही जेवरातों, कागजातों में भी अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग है। अनेकों में 'ओ' अतिरिक्त प्रत्यय है।

४) अतिरिक्त शब्द प्रयोग :

सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'सर्व' शब्द में ही उसका अर्थ निहित है। यहाँ श्रेष्ठ तथा उत्तम अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता नहीं है।

५) गलत प्रत्यय का प्रयोग :

'इंद्रियें' शब्द के स्थान पर 'इंद्रियाँ' रूप इसका उत्तम उदाहरण है। 'इंद्री' शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया और दूसरी ओर इंद्रियों का अतः इंद्रिय - इंद्रियाँ को सम्बद्ध मान लिया गया।

६) नया प्रत्यय :

पहले प्रभावशाली शब्द चलता था लेकिन आज प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी चल पड़ा।

७) आधा नया आधा पुराना प्रत्यय :

'छठा' के स्थान पर 'छठवाँ' में 'छ' मूल शब्द है, 'छठा' का पुराना प्रत्यय है 'छ' तथा वा, पाचवाँ, आठवाँ, सातवाँ आदि के सादृश्य पर आया नया प्रत्यय है।

८) मूल में परिवर्तन :

इससे भी रूप परिवर्तन होता है। 'मुझको' के स्थान पर 'मेरे को' अथवा 'तुझको' के स्थान पर 'तेरे को' में प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गया है।

९) मूल और प्रत्यय दोनों में परिवर्तन :

ऐसा कम होता है। अंग्रेजी में go का भूतकाल went इसी प्रकार का है।

१.७ रूप -परिवर्तन के कारण :

ध्वनियों में परिवर्तन के समान रूपों या पदों में भी परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि-परिवर्तन का सम्बन्ध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है। वह प्रायः उन सभी शब्दों को प्रभावित करता है। जिनमें वह ध्वनि होती है। रूप-परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। वह किसी एक पद या शब्द के रूप को ही प्रभावित करता है। रूप-परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

१) नियमन : भाषा में कुछ नियम अधिकांश रुपों पर लागू होते हैं, जैसे भूतकालिक रूप बनाने के लिए क्रिया के अंत में आ लगा दिया जाता है, मार -माराचल - चला, बैठ - बैठा आदि। पर कुछ अपवाद भी होते हैं। नियमित रूपों को याद रखना आसान होता है पर अपवादों को याद रखना कठिन है। उनके स्थान पर नियमित रूपों का प्रयोग करने लगता है, जिससे रूप परिवर्तन हो जाता है। जाने-अनजाने अनियमित रूपों के बदले नियमित रूपों का प्रयोग करना चाहता है। जैसे - हिन्दी में पुराने मानक रूप 'हजिए' तथा 'कीजिए' हैं किन्तु ये अपवाद नियम विरोधी हैं। सामान्य नियम धातु में 'इए' जोड़कर रूप बनाने का है। जैसे - आइए, चलिए, करिए, बैठिए आदि। 'मर' का 'मरा', 'चल' का 'चला', 'बैठ' का 'बैठा' नियमित रूप है पर 'कर' का 'किया' अपवाद है। परिणामतः बहुत से लोग इसका नियमन कर 'कर' के 'करा' का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पहले खारी ताजा, भारी मानक हिन्दी के अपरिवर्तनीय विशेषण थे। परंतु अन्य ईकारान्त (बड़ी, अच्छी, मीठी) आदि विशेषण परिवर्तनीय हैं, अतः इसी नियम के आधार पर कुछ लोग इनका भी रूप बदल देते हैं, खारा पानी (होना चाहिए खारी पानी), ताजा

खबर (होना चाहिए, ताजी खबर) भारा बदन (होना चाहिए भारी बदन) यह नियमन साहचर्य के कारण होता है।

२) स्पष्टता : प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात को ठीक तरह से समझे, उसकी बात इतनी स्पष्ट हो कि दूसरे को समझने में कठिनाई न हो। अतः जब उसकी समझ में आता है कि पुराने रुपों के कारण उसकी बात अस्पष्ट हो गई है, या हो सकती है, तो वह उसके स्थान पर नये रूप बना देता है। ऐसे नये रूप पुराने रूपों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते है। पहले हिन्दी में अरबी-फारसी के रूप बहुतायत में चलते थे, आज उनका प्रचलन कम हो गया है। पहले 'दर-हकीकत' 'दर -अस्सल' रूप चलते थे। आज ये रूप अस्पष्ट हो जाने के कारण अब नये रूप चल पड़े है - 'दर हकीकत में', 'दरसल में'। संस्कृत में 'श्रेष्ठ' का अर्थ था सबसे अच्छा, परंतु संस्कृत व्याकरण की जानकारी न देने से श्रेष्ठ शब्द अस्पष्ट हो गया और उसके स्थान पर नये रूप प्रयुक्त हैं। - सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। इसी प्रकार 'हम', 'तुम', 'वे', ये मूलतः बहु वचन है, किन्तु आज इनका आदर के लिए एक वचन में प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार अस्पष्टता का संकट आ गया। 'हम आ रहे हैं', 'तुम आ जाओ', 'वे गए', 'ये आये' जैसे प्रयोगों को ए.व. माना जाए, या ब.व.। इससे छुटकारा पाने हेतु ब.व. के नये रूप प्रयुक्त होने लगे है। हम लोक, तुम लोग, ये लोग आदि।

३) अज्ञान : अज्ञान के कारण रूप - परिवर्तन होता है। अज्ञान के कारण अस्पष्टता है। जब भाषा का विपुल ज्ञान न हो तब यह स्थिति देखी जा सकती है। जैसे, 'फजूल' की जगह 'बेफजूल', पूज्य की जगह 'पूज्यनीय', 'पाण्डित्य' की जगह 'पांडित्यता', 'अभिज्ञ' की जगह, 'भिज्ञ' का प्रयोग ऐसे ही उदाहरण हैं। इस प्रकार के रूप अपरिवर्तन के मूल में अज्ञानता दिखायी देती है।

४) बल : बल देने के प्रयास में भाषा में नये प्रयोग आ जाते हैं। 'अनेक' के स्थान पर 'अनेकों', 'खालिस' की जगह 'निखालिस', 'खाकर' की जाकर 'खाकर' के बल के कारण ही चल पड़े हैं।

५) नवीनता : साहित्यकार कभी -कभी नवीनता लाने के लिए या अपनी मौलिकता दिखाने के लिए नये रूप बना लेते हैं। 'प्रभावशाली के स्थान पर 'प्रभावी' का प्रयोग इसी प्रकार है।' 'स्वीकार किया' के स्थान पर 'स्वीकारा', 'फिल्म बनाया' के स्थान पर 'फिल्माया', 'हथियाया', 'लतियाया', 'जुतियाया' 'घकियाया' ऐसे ही रूप है।

६) आगम : जिस प्रकार आगम से ध्वनि में परिवर्तन होता है वैसे ही आगम के रुप परिवर्तन हो जाता है। कभी कोई शब्द आ जाता है और पहले रूप को बदल देता है। जैसे 'नौकर चाकर' में 'चाकर' आगम है। 'शादी ब्याह' में ब्याह का आगम हुआ हैं।

७) लोप : आगम की तरह लोप से भी रूपों में परिवर्तन हो जाता है। सुविधा के लिए लम्बे प्रयोगों के स्थान पर छोटे प्रयोग चल पड़ते हैं। जैसे - 'रामचरित - मानस' की जगह केवल 'मानस' या 'महाभारत' के स्थान पर केवल 'भारत'।

munotes.in

८) ध्वनि - परिवर्तन : ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूपों में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत ध्वनि-परिवर्तन के कारण जब विभक्तियाँ परिवर्तित होते-होते लुप्त हो जाती हैं तो उनके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके कारण नये रूप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के कारकीय रूपों के साथ यही हुआ। धीर, धीरे विभक्तियों लुप्त हो गई हैं। इसी कारण परसर्ग-युक्त नये रूप प्रयोग में आ गये हैं। जैसे - 'राम' के स्थान पर 'राम ने', 'रामस्य' के स्थान पर 'राम का', 'रामम्' के स्थान पर 'राम को', 'रामेय' के स्थान पर 'राम से' आदि नये रूप इसी के परिणाम स्वरूप है।

१.८ रूपिम और संरूप :

रूपिम को रूपग्राम और पदग्राम भी कहते हैं। जिस प्रकार स्वन-प्रक्रिया की आधारभूत इकाई स्वनिम है, उसी प्रकार रूप प्रक्रिया की आधारभूत इकाई रूपिम है।

रूपिम की परिभाषा : विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने रूपिम को भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ द्रष्टव्य है -

१) डॉ. उदय नारायण ने रूपिम की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'पदग्राम (रूपिम) वस्तुतः परिपूरक वितरण या मुक्त वितरण में आये हुए सहपदों (संख्या) का समूह है।'

२) डॉ. सरयूप्रसाद के अनुसार, 'रूप भाषा की लघुतम अर्थपूर्ण इकाई होती है जिसमें एक अथवा अनेक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है।'

३) डॉ. भोलानाथ के मतानुसार, 'भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई रूपग्राम है।'

४) डॉ. जगदेव ने लिखा है, 'रूप अर्थ से संश्लिष्ट भाषा की लघुतम इकाई को रूपिम कहते हैं।'

५) ब्लाक के अनुसार, 'कोई भी भाषिक रूप, चाहे मुक्त अथवा आबध्द हो और जिसे अल्पतम या न्यूनतम अर्थमुक्त (सार्थक) रूप में खण्डित न किया जा सके, रूपिम होता है।'

रूपिम का स्वरूप:

रूपिम के स्वरूप को उसकी अर्थ - भेदक संरचना के आधार पर निर्धारित कर सकते है। प्रत्येक भाषा में रूपिम व्यवस्था उसकी अर्थ - प्रवृत्ति के आधार पर होती है। इसलिए भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूपिमों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। मानक हिन्दी में प्रयुक्त 'पढ़वाऊँगा' शब्द या पद पर विचार किया जाए तो इसमें निम्नलिखित लघुतम अर्थवान इकाइयाँ दृष्टिगोचर होती है।

१) पढ़ (धातु - रुपिम)
२) वा (प्रेरणार्थक रूपिम)
३) ऊँ (उत्तम पुरुष एकवचन सूचक रूपिम)
४) ग (भविष्यत कालसूचक रूपिम)
५) आ (पुल्लिंग सूचक रूपिम)

संरूप :

किसी रूपिम का वह ध्वन्यात्मक विभेद जो किसी परिवेश विशेष में प्रयोग में आता है 'संरूप' कहलाता है। अर्थात वह रूपिम का ही एक दूसरा रूप होता है, जिसमें ध्वनियाँ थोड़ी-बहुत अलग हो जाती हैं और उस प्रकार बने हुए ध्वनि समूह का प्रयोग किसी परिस्थिति विशेष में किया जाता है।

उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्द - युग्म को देखा जा सकता है -
लड़का, लड़क
बच्चा, बच
घोड़ा, घुड़

इन शब्द - युग्मों में देखा जा सकता है कि पहले उदाहरण में 'लड़का' शब्द रूपिम है, इसके दूसरे रूप 'लड़क' का प्रयोग तब होता है जब उसके वाद 'पन' प्रत्यय आता है। इस सूत्र रूप में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं -

लड़का + पन = लड़कपन

अर्थात - लड़का शब्द पन प्रत्यय के साथ जुड़ते समय यह 'लड़क' में बदल गया। इसी प्रकार 'बच्चा' शब्द भी 'पन' के साथ जुड़ते समय 'बच' में बदल जाता है -

बच्चा + पन = बचपन

'घोड़ा' शब्द को जब 'दौड़' के साथ जोड़ा जाता है तो वह 'घुड़' में बदल जाता है। अतः ये सभी शब्द युग्म आपस में 'रूपिम' और 'संरूप' है।

अतः इसे इस प्रकार दिखा सकते हैं -

रूपिम	संरूप
लड़का	(लड़का, लड़क)
बच्चा	(बच्चा, बच)
घोड़ा	(घोड़ा। घुड़)

यहाँ ध्यान देने वाली बात हैं कि 'रूपिम' भी 'संरूप' के अंतर्गत एक अंग होता है।

१.९ सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से रूप विज्ञान का स्वरूप, अर्थतत्व और संबंध तत्व, उसके प्रकार, रूप परिवर्तन की दिशाएँ एवं उसके कारण, रूपिम और स्वरूप आदि को जाना हैं। इसके साथ ही रूप विज्ञान को क्या कहा जाता है इसकीं भी जानकारी प्राप्त हुई है।

munotes.in

१.१० अतिलघुत्तरीय प्रश्न

१) रूप विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते है ?
२) रूपिम का दूसरा नाम क्या है ?
३) "भाषा या वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाई रूपग्राम है।" यह परिभाषा किसकी है ?
४) संबंध तत्व में आंतरिक परिवर्तन के कितने प्रकार है ?
५) अर्थतत्व किसे कहते है ?

१.११ लघुत्तरीय प्रश्न

१) रूप विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए ?
२) रूप विज्ञान के संदर्भ में अर्थतत्व और संबंध तत्व पर प्रकाश डालिए ?
३) रुपिम और संरूप को स्पष्ट करे ?

१.१२ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१) रूप विज्ञान में रूप परिवर्तन की दिशाएँ और कारणों को स्पष्ट कीजिए ?
२) रूप विज्ञान में अर्थ तत्व और संबंध तत्व की चर्चा करते हुए उसके प्रकारों पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

१.१३ संदर्भ ग्रंथ

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलनाथ तिवारी
२. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख
३. भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
४. हिंदी भाषा का उद्भव और विकास - डॉ. उदयनारायण तिवारी
५. हिंदी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

❖❖❖❖

munotes.in

२

वाक्य विज्ञान

इकाई की रूपरेखा :

२.० इकाई का उद्देश्य
२.१ प्रस्तावना
२.२ वाक्य विज्ञान
२.२.१ वाक्य विज्ञान का स्वरूप
२.२.२ वाक्य विज्ञान की परिभाषा
२.२.३ अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद
२.२.४ वाक्य परिवर्तन की दिशाएँ
२.२.५ वाक्य परिवर्तन के कारण
२.३ सारांश
२.४ अतिलघुत्तरीय प्रश्न
२.५ लघुत्तरीय प्रश्न
२.६ दीर्घोत्तरी प्रश्न
२.७ संदर्भ ग्रंथ

२.० इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन के बाद छात्रों का निम्नलिखित मुद्दों से परिचय होगा -

- वाक्य विज्ञान के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे।
- वाक्य विज्ञान की विविध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा से परिचय होगा।
- अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद से अवगत हो सकेंगे।
- वाक्य परिवर्तन की दिशाएँ को जान पाएँगे।
- वाक्य परिवर्तन के कारणों से अवगत हो पाएँगे।

२.१ प्रस्तावना

पद विज्ञान तथा रूप विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात वाक्य विज्ञान का अध्ययन करते हुए भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंधों का विचार किया जाता है। रूप विज्ञान

munotes.in

और वाक्य विज्ञान में सिर्फ यही अंतर है कि पद - विज्ञान में पदों की रचना का विवेचन किया जाता है। परंतु वाक्य विज्ञान में पूर्वोक्त विधि से बने हूए पदों का कहाँ, किस प्रकार से प्रयोग होता है, पदों को किस प्रकार रखना या सजाना चाहिए, उनको विभिन्न प्रकार से रखने से अर्थ में क्या अंतर होता है आदि का विवेचन वाक्य विज्ञान में होता है।

२.२ वाक्य विज्ञान : परिभाषा, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, वाक्य परिवर्तन की दिशाएँ और कारण

२.२.१ वाक्य विज्ञान का स्वरूप :

वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। वाक्य-विज्ञान के अंतर्गत वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पढ़ने का विन्यास, वाक्यों के प्रकार, वाक्य, विभाजन, वाक्य के निकटस्थ अवयव, वाक्य में परिवर्तन, परिवर्तन की दिशाएँ एवं कारण आदि का अध्ययन किया जाता है।

२.२.२ वाक्य की परिभाषाएँ :

वाक्य को अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित है।

१) पतंजलि के अनुसार - "कारक, अव्यय विशेषण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया के एक साथ प्रयोग" या "मात्र क्रियापद के प्रयोग" को या कभी-कभी क्रियापदरहित एकमात्र तर्पणम या पिण्डीज जैसे संज्ञापद को भी वाक्य मानते हैं।

२) डॉ. अंबाप्रसाद सुमन - "वाक्य भाषा की लघुतम पूर्ण स्वतंत्र इकाई है, जो विचार की ध्वनिमयी सार्थक अभिव्यक्ति है।" इस ध्वनिमयी सार्थक अभिव्यक्ति में शब्द - समूह भी हो सकता है और एक शब्द भी।

३) डॉ. देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार - "भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है।"

४) बद्रीनाथ कपूर के अनुसार - "वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है, जिसके द्वारा कोई बात कही गई हो।"

५) रामचंद्र वर्मा के अनुसार, "जिस पद या पदों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाए या जिसमें कोई विचार प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं।"

६) कामता प्रसाद के अनुसार - "एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द - समूह वाक्य कहलाता है।"

७) यूरोप में पहली शताब्दी में डिनियोसियस प्रेक्स ने वाक्य को परिभाषित करते हुए कहा है - "पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द-समूह वाक्य है।" परंतु वाक्य की यह परिभाषा विवाद से पर नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य की दो विशेषताएँ है -

१) "वाक्य, शब्दों का समूह है" तथा

२) "वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है"

३) विचार करने पर वाक्य की इन दोनों विशेषताओं का खंडन किया जा सकता है, क्योंकि न तो "वाक्य, शब्दों का समूह" है और न ही "वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति करता है।"

८) सामान्यतः वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है - "वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द (पद) होते है तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है, साथ ही उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है।"

२.२.३ अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद :

पद और वाक्य के संदर्भ में विद्वान अपनी दृष्टि से विचार करते हैं। इस पर विचार करनेवालों में प्रमुख दो आचार्य हैं। उनमें से एक पद को महत्व देता है तो दूसरा पद वाक्य को। इस तरह पद और वाक्य के सापेक्ष महत्व पर दो विभिन्न मत दिखाई देते है। मीमांसको ने पद और वाक्य के संबंध में दो सिद्धांत दिए है।

अभिहितान्वयवाद :

अभिहितान्वयवाद के प्रर्वतक आचार्य कुमारिल भट्ट हैं। अभिहितान्वयवाद की परिभाषा कुमारिल भट्ट ने निम्नानुसार दी है -

"अभिहितानां पदार्थानाम अन्वय:"

अभिहितान्वयवादी पदों को महत्व देते हैं उनका मत हैं कि पदों के योग से वाक्य बनता है। पद अपने अर्थ को कहते हैं और उनका वाक्य से अन्वय हो जाता है। इस अन्वय में एक विशिष्ट प्रकार का वाक्यार्थ निकलता है। इस सिद्धांत में पदों को महत्व देने के कारण इसे पद्वाद भी कह सकते हैं। इस वाद में पदों का महत्व है और पदसमूह ही वाक्य है। पद के अतिरिक्त वाक्य का कोई महत्व नहीं है ऐसा इनका कहना है। इस वाद के अनुसार पद की ही सार्थक सत्ता है और वाक्य पदों का जोड़ा हुआ रुप है।

अन्विताभिधानवाद :

इस वाद के प्रवर्तक आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य आचार्य प्रभाकर गुरु हैं। आचार्य प्रभाकर गुरु योग्यता में अपने गुरु से भी बड़े थे। इसी कारण अपने गुरु का भी गुरु हो जाने के कारण गुरु कहलाये जाने लगे। इनका मत अन्विताभिधानवाद कहा जाता है। इसका अर्थ है - "अन्वितानां पदार्थानाम् अभिधानम्।" वाक्य में पदों के अर्थ समन्वित रूप से विद्यमान रहते हैं। वाक्य को तोडने से अलग-अलग पदों का अर्थ ज्ञात होता है। वाक्य से पदों को अलग करने की प्रक्रिया को 'अपोद्धार' (Analysis) कहते हैं। इस वाद में वाक्य को महत्व दिया जाता है। अत: इसे 'वाक्यवाद' भी कह सकते हैं। इस वाद के अनुसार पदों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पद वाक्य के अवयव है और वाक्य विश्लेषण से उसका अर्थ निकलता है।

इस मत के अनुसार वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी वाक्य में सार्थक इकाई मानते हैं।

२.२.४ वाक्य - परिवर्तन की दिशाएँ :

प्रत्येक भाषा का विकास होता रहता है। संसार में हजारों भाषाएँ प्रचलित हैं। जब भाषा विकास करती है तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भाषा में परिवर्तन के कारण वाक्यों के गठन और प्रयोग में भी परिवर्तन होता है।

हिंदी में पदक्रम निश्चित है - कर्ता - कर्म - क्रिया। रमेश स्कूल जाता है, के स्थान पर स्कूल रमेश जाता है, नहीं कह सकते।

वाक्य परिवर्तन की प्रमुख दिशाएँ निम्नानुसार है।

१) पदक्रम में परिवर्तन :

पदक्रम में परिवर्तन से वाक्य - रचना प्रभावित होती रहती है। पदक्रम निश्चित होते हुए भी विभक्ति - लोप, नये प्रयोग की प्रवृत्ति के कारण पदक्रम परिवर्तित होता रहता है। हिन्दी भाषा में नवीनता के लिए पदक्रम में कुछ नये परिवर्तन दिखायी दे रहे हैं।

पहले - 'मात्र' का प्रयोग संबध्द शब्द के बाद होता था। परंतु अब उसका प्रयोग पहले हो रहा है। जैसे - मानव मात्र, प्राणिमात्र, आदमी काल

२) वचन में परिवर्तन :

भाषाओं के विकास प्रक्रिया में वाक्य -रचना के अंतर्गत वचन संबंधी परिवर्तन प्रायः हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में तीन वचन थे - ए.व., द्वि.व., ब.व. पर हिन्दी में केवल दो ही वचन है, संस्कृत के द्विवचन का हिन्दी में लोप हो गया है। संस्कृत भाषा में द्विवचन के लिए अलग कारकीय रूप थे और उसके साथ क्रिया के द्विवचन के रुप में प्रयुक्त होते थे। हिन्दी में द्विवचन का लोप हो गया तो 'दो' की संख्या 'बहुवचन' कारकीय रुप में लगातार द्विवचन का भाव व्यक्त किया जाने लगा। जैसे

संस्कृत	हिन्दी
तौ	वे दो
बालकौ	दो बालक

पुरानी हिन्दी में आदरार्थ बहुवचन नहीं था, अर्थात आदर के लिए भी एकवचन की क्रिया तथा एकवचन के विशेषण का ही प्रयोग किया जाता था पर अब हिन्दी में आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है।

जैसे - रहीम (सेवक) अच्छा है।
रहीम (शिक्षक) अच्छे है।

३) लिंग में परिवर्तन :

संस्कृत भाषा में तीन लिंग थे जबकि हिन्दी में दो ही लिंग है। संस्कृत के नपु लिंग का हिन्दी में लोप हो गया है। संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता था। पर हिन्दी में यह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे -

रामः गच्छति - राम जाता है।
सीता गच्छति - सीता जाती है।

पहले हिन्दी में स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता था जैसे - अब हम जा रही हैं। परंतु आजकल प्रायः लड़कियाँ प्रयोग करने लगी है - हम जा रहे हैं।

४) पुरुष में परिवर्तन :

आजकल वाक्य - रचना में पुरुष के अंतर्गत भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले प्रयोग चलता था - राम ने कहा कि मैं जाऊँगा। लेकिन आजकल अँग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। राम ने कहा कि वह जाएगा। 'मैं' के स्थान पर 'वह' का प्रयोग चल पड़ा है।

५) लोप :

संक्षेपीकरण या प्रयत्न - लाघव की प्रवृत्ति के कारण कहीं - कहीं पर या प्रत्यय का लोप किया जा रहा है। जैसे -

पहले - मैं नहीं पढ़ा हूँ।
अब - मैं नहीं पढ़ता।
पहले - वह बीमार उठ नहीं सकता और न बैठ सकता है।
अब - वह बीमार उठ - बैठ नहीं सकता।

६) आगम :

यह लोक के विपरीत है। इसमें अतिरिक्त शब्दों के आ जाने से वाक्य की लंबाई बढ़ जाती है। जैसे -

बालक ने कहा मैं जाऊँगा।
बालक ने कहा कि मैं जाऊँगा। (आगम)
राम नहीं आ रहा।
राम नहीं आ रहा है। (आगम)

७) कारक के लिए अर्धविराम :

अँग्रेजी भाषा के अनुकरण पर हिंदी में भी संक्षेप के लिए कारक चिह्नों के स्थान पर अर्थ - विराम (कॉमा) का प्रयोग होता है। जैसे - आगरा विश्वविद्यालय के 'कुलपति' के स्थान पर 'कुलपति' आगरा विश्वविद्यालय आदि।

munotes.in

८) कोष्ठ और डैश का प्रयोग :

अज्ञान आदि के कारण वाक्य में अनावश्यक या अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे - 'फजूल' (व्यर्थ) के स्थान पर 'वेफजूल', 'दरअसल' (वस्तुतः) के स्थान पर 'दरसल में' आदि।

२.२.५ वाक्य परिवर्तन के कारण :

एक भाषा का दूसरी भाषा के साथ संपर्क, समन्वय, ध्वनियों का विकास, बोलने वालों की मानसिक स्थिति, स्वराघात, पदलोप आदि के कारण वाक्य के गठन में परिवर्तन होता रहता है। इसके कई कारण है। वे इस प्रकार है -

१) अन्य भाषा का प्रभाव :

फारसी और अँग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी वाक्य गठन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। फारसी के प्रभाव से हिन्दी में 'कि' लगाकर वाक्य बनाने की परंपरा आई। अँग्रेजी के प्रभाव से ही लंबे-लंबे वाक्यों की परंपरा चल पड़ी है। अँग्रेजी के प्रभाव के कारण क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग भी चलने लगा है - 'वह पुस्तक पढ़ता है' के स्थान पर 'वह पढ़ता है पुस्तक।'

२) ध्वनि विकास के कारण विभक्तियों का घिस जाना ।

संबंधतत्व को स्पष्ट करने वाली विभक्तियाँ जब घिस जाती है, तब अर्थ की स्पष्टता के लिए क्रिया में परसर्ग आदि जोड़ने पड़ते हैं। यही कारण है कि भाषाएँ संयोगात्मक से वियोगात्मक हो जाती है। इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव वाक्यों के पदक्रम पर पड़ता है। भाषा की संयोगावस्था में वाक्य में पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, किंतु वियोगावस्था में वाक्य या पदों का क्रम निश्चित हो जाता है। संस्कृत की तुलना में हिन्दी में पदक्रम लगभग निश्चित हो गया है।

३) अलिखित शब्दों का प्रयोग :

स्पष्टता या बल के लिए सहायक शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण धीरे धीरे विभक्तियाँ समाप्त हो गई और वे शब्द परसर्ग की तरह प्रयुक्त होने लगे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में यही हुआ।

४) वाक्यों में स्वराघात :

वाक्यों के गठन में संगीतात्मकता तथा बलात्मक स्वराघात भी परिवर्तन उपस्थित कर देता है। वाक्य के विशेष शब्द या पद पर बल देकर वाक्य में उसका स्थान प्रमुख बना दिया जाता है। इसी प्रकार सामान्य अर्थ के बोधक वाक्य में आश्चर्य, शंका प्रश्न आदि का भाव स्वराघात या वाक्य सुर से ही व्यक्त किया जाता है। 'आप जा रहे हैं' को प्रश्न के रूप में रखने पर 'क्या आप जा रहे हैं?' कहा जाएगा।

५) नवीनता का प्रयास :

वाक्यों में नवीनता लाने के लिए लेखक द्वारा प्रचलित पदक्रम को बदल दिया जाता है। जैसे - 'यह स्थान मनुष्य मात्र के लिए है' के स्थान पर 'यह स्थान मात्र मनुष्यों के लिए है।'

munotes.in

'गरीब की दुकान' की जगह 'दुकान गरीब की'। इसके अतिरिक्त अनेक बार कर्ता विहिन या क्रिया विहिन वाक्यों का प्रयोग भी किया जाता है।

६) अज्ञान :

अज्ञानता के कारण वाक्यों में अधिक पदों का प्रयोग होने से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानता के कारण अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अनेक वक्ता श्रेष्ठ के स्थान पर श्रेष्ठतम, महत्वा को महानता, विद्वता को विद्वानता, दरअसल के स्थान पर दरअसल में आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य रचना में परिवर्तन आ जाता है।

७) वाक्य में पद या शब्द का लोप :

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में परसर्ग संयोजक तथा सहायक क्रिया में से किसी एक अंश की कमी होती है। हिंदी में पहले, "मैं आज वहीं जा रहा हूँ कहने की प्रवृत्ति थी, परन्तु अब आज की प्रवृत्ति संक्षिप्तता या मुखसुख के कारण विकसित हो रही है, जो समस्त पद की प्रवृत्ति में वाक्य गठन में परिवर्तन उपस्थित कर देती है। बोलचाल के वाक्यों में पदलोप की प्रवृत्ति अधिक मिलती है।"

८) बोलने वालों की मानसिक स्थिति :

बोलनेवालों की मानसिक स्थिति के कारण वाक्य गठन पर प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप वाक्य गठन में परिवर्तन होता है। शोक, दुःख, युद्यकाल, विपति, संकट आदि के समय मनःस्थिति क्षुब्ध होती है, ऐसी अवस्था में सरल, स्पष्ट, तिखी और गंभीर भाषा का प्रयोग होता है। ऐसी अवस्था में अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य प्रेम और करूणा से अभिभूत हो जाता है तो लंबा व्याख्यान नहीं देता। ऐसी स्थिति में उसके वाक्य छोटे-छोटे होते हैं। सौंदर्य का वर्णन करता है, तो शैली का अलंकृत हो जाना स्वाभाविक है।

९) अनुकरण की प्रवृत्ति :

अन्य भाषाओं के अनुकरण के कारण वाक्य रचना में परिवर्तित होता है। अनेक लोगों में कुछ कारणों से विशेषतः उच्चता की भावना के कारण किसी भाषा के अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वक्ता अपनी भाषा में उस तथाकथित उच्च भाषा का अनुकरण करने लगते है, जिससे उनकी अपनी भाषा के वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। अँग्रेजी वाक्य रचना के अनुकरण पर हिन्दी में भी तद्नुरूप रचना इसका ही परिणाम है। जैसे - गंगा ने कहा कि 'मैं कल खेलने नहीं जाऊँगी। के स्थान पर गंगा ने कहा कि वह कल खेलने नहीं जाएगी।'

१०) स्पष्टता :

स्पष्टता के लिए वाक्य गठन में परिवर्तन होता है। स्पष्टता के लिए कोष्ट या डैश - को प्रयोग होता है। 'अमरत्व' (मोक्ष की कामना) मानव-जीवन का लक्ष्य है।

११) परम्परावादिता :

कभी-कभी परम्परावादिता के कारण भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में प्राचीन परंपरा के प्रति अनुराग है और हिन्दी में परम्परावादिता के विरुद्ध संघर्ष है। इसके फलस्वरुप वाक्य रचना में भी अंतर होता है। संस्कृत में विशेष्य विशेषण का अन्वय आवश्यक

munotes.in

था और विशेषण भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग होता था। हिन्दी में इस परंपरा का पालन कुछ विशेषणों में तो हो रहा है, किंतु कुछ में हिन्दी की प्रकृति के अनुसार विशेष्य का एक ही लिंग रह गया है। जैसे -

'चतुरः' या चतुरा या केवल चतुर।

संस्कृत के प्रति आग्रह रखने वाले कुछ विद्वान हिंदी में भी चतुरा बालिका जैसा प्रयोग करते हैं। जिससे हिन्दी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है।

संस्कृत में विधेय के अनुसार विशेषण में भी लिंग, वचन होते हैं। हिन्दी में वर-वधु दोनों के लिए 'आयुष्मान हो' संबोधन में भी प्रिया, प्रियसी, प्रियतमा आदि विद्वान शिष्य एवं शिष्याएं आदि। संस्कृत के विद्वान वर को 'आयुष्मान हो कहेंगे।' संबोधन में प्रिये, प्रिये सी, प्रियतमे कहेंगे। जैसे - राम वन गये, गुरूजी आ गये आदि।

२.३ सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद छात्रों ने वाक्य विज्ञान क्या है इसकी जानकारी हासिल की है। विशेषतः इसमें वाक्य विज्ञान की परिभाषा, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के साथ-साथ वाक्य विज्ञान की दिशाएँ तथा कारणों को जाना है। वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध का विचार किया जाता है। यह वाक्य विज्ञान में दिखाई देता है।

२.४ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

१) "भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है।" यह परिभाषा किस विद्वान की है ?
२) अभिहितान्वयवाद के प्रवर्तक है -
३) वाक्य विज्ञान में वाक्य से पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ?

२.५ लघुत्तरीय प्रश्न

१) वाक्य विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
२) वाक्य विज्ञान में अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद को संक्षिप्त में बताइएँ।
३) वाक्य परिवर्तन की दिशाओं को संक्षिप्त में स्पष्ट करें ?

२.६ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१) वाक्य विज्ञान की परिभाषा स्पष्ट करते हुए अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद को विस्तार से लिखिए।
२) रूप विज्ञान में वाक्य परिवर्तन की दिशाएँ और कारणों पर प्रकाश डालिए।

munotes.in

२.७ संदर्भ ग्रंथ

१. भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
२. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी
३. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबुराव सक्सेना
४. हिंदी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु
५. हिंदी भाषा का इतिहास - डॉ. भोलानाथ तिवारी
६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिध्दांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

❖❖❖❖

munotes.in

३

अर्थ विज्ञान

इकाई की रूपरेखा :

३.० इकाई का उद्देश्य

३.१ प्रस्तावना

३.२ अर्थ विज्ञान : अवधारणा

३.३ शब्द और अर्थ का संबंध

३.४ अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ

३.५ अर्थ परिवर्तन के कारण

३.६ सारांश

३.७ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

३.८ लघुत्तरीय प्रश्न

३.९ दीर्घोत्तरी प्रश्न

३.१० संदर्भ ग्रंथ

३.० इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ के अध्ययन के बाद निम्नलिखित विषयवस्तु से आपका परिचय होगा -

- हिन्दी भाषा के संदर्भ में अर्थ विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे।
- अर्थ विज्ञान का शब्द और अर्थ से संबंध का विश्लेषण कर पाएँगे ।
- अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ और भाषा पर उसका प्रभाव की समीक्षा कर पाएँगे ।
- अर्थ परिवर्तन के कारण की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे ।

३.१ प्रस्तावना

अर्थविज्ञान के विवेच्य विषय हैं - अर्थ क्या है? अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? शब्द और अर्थ में क्या संबंध है? अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निर्णय कैसे किया जाता है? अर्थ में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? बिना अर्थ का विचार किए भाषा का विवेचन अधूरा रहेगा।

हमारे यहाँ अर्थ का महत्व बहुत प्राचीन काल से माना जाता रहा है, जैसा यास्क के 'निरूक्त' से अनेकत्र प्रमाणित होता है। यास्क ने कहा है कि जिस प्रकार बिना अग्नि के शुष्क

ईंधन प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अर्थ समझे जो शब्द दुहराया जाता है, वह कभी अभीप्सित विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता।

यद्धीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्जवलति कर्हिचित्।

– (महाभाष्य आ. १)

कहने का तात्पर्य यह कि अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। शब्द तो अर्थ की अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। इसको ऐसे भी कह सकते है कि शब्द अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है या शब्द शरीर है तो अर्थ आत्मा। जिस तरह शरीर की सहायता से ही आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसी प्रकार शब्द की सहायता से ही अर्थ का बोझ होता है।

३.२ अर्थ विज्ञान : अवधारणा

अर्थ-विज्ञान भाषा-विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। सार्थकता भाषा की आत्मा है। अर्थ के अभाव में भाषा निर्जीव तथा निरर्थक ध्वनियों का जालमात्र है। अर्थ शब्द की आत्मा है और शब्द शरीर है। अर्थ-विज्ञान में शब्दार्थ के आंतरिक पक्ष का विवेचन, विश्लेषण किया जाता है। जिस प्रकार शरीर के ज्ञान के बाद आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, उसी प्रकार ध्वनि, पद, वाक्य के ज्ञान के बाद अर्थरूपी आत्मा का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है।

अर्थ-विज्ञान के क्षेत्र में अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इन विद्वानों ने अपने-अपने ग्रंथों में अर्थ के स्वरूप, महत्व तथा लक्षण पर प्रकाश डाला है। आचार्य पाणिनी ने भाषा का सार 'अर्थ' को माना है। इसी कारण उन्होंने अर्थवान या सार्थक शब्द को ही 'प्रतिपादिक' माना है।

महर्षि पतंजलि ने 'महाभाष्य' में लिखा है – अर्थज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है। वह उसी प्रकार ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता जैसे बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन। पतंजलि अर्थ को शब्द की आंतरिक शक्ति मानते है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 'अर्थज्ञ' को अजेय योद्धा बताया गया है। अर्थज्ञानहीन को बिना दूधवाली गाय एवं फल फूलहीन वाणी का संग्रहकर्ता बताया है। इससे स्पष्ट है कि भाषा की सार्थकता अर्थ में है। अर्थ ही भाषा का सर्वस्व है। अर्थहीन भाषा सन्तानहीन स्त्री के समान है। अर्थ के संदर्भ में भर्तुहरि ने लिखा है –

"यस्मिस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते।
तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षणम्।।"

शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है, अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नही हैं। अर्थ की महता के सम्बन्ध में हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही विचार होता रहा है। इस सम्बन्ध में भर्तृहरि ने महर्षियों के प्रमाण को स्वीकार किया है और कहा है –

"निप्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाता महर्षिभिः"

अर्थात महर्षियों ने शब्दार्थ सम्बन्धों को नित्य माना है।

अर्थ का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है। अर्थ का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति कितना अभागा है यह वेदों के एक प्रसिद्ध कथन में व्यक्त किया गया है -

"उतत्वः पश्यन्त दूदर्श वाचमुत त्वः श्रण्वत्र श्रृणोत्येनाम्।
उतो त्वरमै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः"।।

अर्थात एक मुर्ख मनुष्य जो अर्थ का ज्ञान रखता, केवल (शब्दों को) कष्ठाग्र कर लेता हैं वह वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता - अर्थात अर्थ शून्य होने के कारण उससे लाभ नहीं उठा सकता। वही वाणी अर्थ जानने वाले व्यक्ति के लिए अपने शरीर को उसी प्रकार खोलकर रख देती है जैसे उत्तम वस्त्र धारण किए हुए कामवाली स्त्री अपने पति के सामने शरीर को खोल देती है।

भाषाविज्ञान में अर्थविज्ञान का कोई स्थान है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में एकमत नहीं है। पहले अर्थहीन का भाषाविज्ञान में कोई स्थान नहीं था। अर्थविज्ञान को दर्शनशास्त्र का ही अंग माना जाता था। भाषाविदों ने अर्थविज्ञान को भाषाविज्ञान का बाह्यस्तर माना है, अर्थात अर्थविज्ञान का सम्बन्ध भाषा से सीधा नहीं, वरन भाषा के बाहर के तत्वों से है। आधुनिक युग में पाश्चात्य भाषाविदों ने अर्थ पर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इसी का परिणाम है कि अब अर्थविज्ञान को भाषा-विज्ञान की एक शाखा के रुप में मान्यता मिल गई है?

३.३ शब्द और अर्थ का संबंध

भाषा में उपयोगिता अर्थ की होती है, किन्तु अर्थ भी तो शब्द रूप होता है। क्या वह शब्द रूप अर्थ है? सभी जानते है कि मधु शब्द का अर्थ है 'शहद' किन्तु शब्द रूप 'शहद' अर्थ नहीं है वस्तु रूप शहद अर्थ है। परंपरा रूप में किसी विशिष्ट शब्द का विशिष्ट अर्थ मान लिया जाता है। शब्द और अर्थ में सीधे वह सम्बन्ध नहीं है, जो अग्नि और जलन में है। हम मुँह में अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं, किन्तु मुँह नहीं जलता। 'इमली' कहते है किन्तु मुँह खट्टा नहीं होता। 'पानी' कहते हैं तो प्यास नहीं बुझती। शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक और सहज सम्बन्ध नहीं है। समाज ने यह परंपरा से सम्बन्ध मान लिया है। समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों के प्रतीक के रुप में स्वीकार कर लिया है। शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या संकेत हैं, इसीलिए उन शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थों में ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए समाज ने 'पानी' शब्द को 'पानी' द्रव्य के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है, इसीलिए पानी कहने से उसी का बोध होता है, किसी और चीज का नहीं। कल समाज यह निर्णय कर ले कि 'पानी' शब्द किसी और वस्तु का वाचक माना जाएगा तो कल से 'पानी' शब्द का अर्थ पानी न रहकर बदल जाएगा।

कुछ भाषाविद् शब्द और अर्थ का सम्बन्ध मानते हैं। दोनों को भाषा का शरीर एवं आत्मा माना जाता है। पतंजलि के अनुसार शब्द द्वारा अर्थ की प्रतीति या अभिव्यक्ति होती है। इन दोनों का सम्बन्ध नित्य या परस्पर सम्बन्ध है।

भर्तृहरि शब्द और अर्थ एक दूसरे से अभिन्न मानते हुए लिखते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो रूप है, तथा दोनों की स्थिति अभिन्न है। इन दोनों में प्रकाश्य प्रकाशन एवं कार्यकारक का सम्बन्ध है।

गोस्वामी तुलसीदास भी शब्द और अर्थ में घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकारते है। जैसे - 'मीरा अरथ जल वीचि सम कहियत भिन्न-न-भिन्न' डॉ. शिलर तथा नान चॉमस्की भी शब्द और अर्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों तथा विद्वानों के मतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध घनिष्ठ है, तथा वे एक दूसरे पर आश्रित हैं।

३.४ अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ

संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के अर्थो में भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थ -परिवर्तन मानवी मस्तिष्क की एक प्रमुख विशिष्टता है। अतएवं उसके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब किस परिस्थिति में कौन-सा शब्द किस दिशा में विकसित हो जाए। कभी -कभी शब्द का व्यापक अर्थ में व्यवहार होने लगता है, कभी उसका अर्थ अत्यंत संकुचित अर्थों में ग्रहण किया जाने लगता है। उसके उल्टे कदाचित कोई नया अर्थ आकर प्राचीन प्रचलित अर्थ को पदच्युत कर देता है।

अर्थ -परिवर्तन की यह प्रक्रिया जिस दिशा में होती है, इसे ही अर्थ-विकास या परिवर्तन की दिशा कहते है।

कुछ विद्वान अर्थ - परिवर्तन की तीन तो कुछ छह दिशाएँ मानने के पक्ष में हैं। मुनि यास्क अर्थपरिवर्तन की प्रमुख तीन दिशाएँ मानते हैं। १) अर्थ विस्तार २) अर्थसंकोच और ३) अर्थदेश

प्रसिद्ध भाषाविद बील, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, डॉ. शिवनाथ, डॉ. भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने भी अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएँ मानी है। अर्थ के अच्छे और बुरे भाव की दृष्टि से तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की दो दिशाएँ मानी है।

डॉ. श्यामसुन्दरदास ने अर्थ-परिवर्तन की छह दिशाएँ मानी हैं अर्थ - परिवर्तन की निम्नलिखित दिशाएँ है।

१) अर्थ विस्तार
२) अर्थ संकोच

३) अर्था देश
४) अर्थोत्कर्ष
५) अर्थोपकर्ष
६) अर्थोपदेश

१) अर्थ विस्तार :

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक शब्द का प्रयोग सीमित अर्थों में होता है, परंतु कालान्तर में उस शब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग होने लगता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने सीमित अर्थ को छोड़कर व्यापक अर्थ को ग्रहण कर लेता है। शब्दों की इस प्रवृत्ति को अर्थ विस्तार कहा जाता है। जैसे -

कुशल : पहले कथाओं को काटकर लाने वाले को कुशल कहा जाता था, पर अब अर्थ-विस्तार के कारण किसी भी काम में कुशल हो सकता है।

तेल : पहले तिल के तेल को कहते थे, पर अब नारियल, सरसो, मिट्टी का तेल भी तेल ही कहलाया जाता है।

कल : संस्कृत में आने वाले दिन को कहा जाता था, पर अब बिता हुआ, दिन भी कल कहा जाता है।

अभ्यास : पहले बाण फेकने के अर्थ में पर अब हर वस्तु का अभ्यास होता है। मराठी में इसका अर्थ पढ़ना है।

स्याह : पहले काले रंग को स्याह कहते थे। पहले स्याही काली होती थी परंतु आज नीली, लाल, हरी भी स्याही होती है।

निपुण : पुण्य करने वाला निपुण होता था पर अब बेइमानी करने वाला भी अपनी कला में निपुण माना जाता है।

प्रवीण : पहले अच्छी वीणा बजाने वाले को प्रवीण कहा जाता था, आज वह किसी भी कार्य में चतुरता दिखलाने के अर्थ में विकसित हो गया है - चोरी करना भी एक प्रकार की चतुरता है।

गोहार : पहले गाय को पुकारने को गोहार कहा जाता था पर अब हर प्रकार की पुकार गोहार है।

अधर : पहले नीचे का ओठ अधर कहलाता था पर अब दोनों ओठों को अधर कहा जाता है।

सब्जी : प्रारंभ में केवल हरी सब्जी, सब्जी थी पर अब, लाल, पीली यहाँ तक की आलू भी सब्जी है।

गोशाला : गायों के रहने का जो स्थान है उसे गोशाला कहा जाता था पर अब उसमें बैल, भैंस, बकरी आदि भी बाँधते है, फिर भी गोशाला नाम है।

महाराज : पहले राजा महाराजाओं के लिए महाराज कहा जाता था, पर अब किसी भी भद्र पुरुष को महाराज कहते हैं। यहाँ तक कि महाराज रसोइयाँ के अर्थ में प्रसिद्ध है।

पत्र : पहले वृक्ष के पते को पत्र कहते थे। लेकिन आज कागज पर लिखी गई चिट्ठी पत्र कही जाती है।

इसी प्रकार बैल, पशु, गधा, उल्लू आदि शब्दों का आज विस्तार हो गया है। ये शब्द मुर्ख का अर्थ बताने लगे है।

२) अर्थ संकोच :

भाषा का विकास परंपरा में कभी-कभी देखा जाता है कि जो शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होते थे, वे बाद में संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं। भाषाविद श्रील ने कहा है कि राष्ट्र या जाति की सभ्यता जितनी अधिक विकसित होगी उसकी भाषा के अर्थ - संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक होंगे। अर्थसंकोच के कारण किसी शब्द का प्रयोग सामान्य था, विस्तृत अर्थ से हटकर विशिष्ट या सीमित अर्थ में होने लगता है। जैसे -

असुर : वैदिक साहित्य में 'असुर' शब्द का प्रयोग देवताओं तथा राक्षसों दोनों के लिए हुआ है पर अब केवल दैत्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा है।

मृग : पहले पशु का वाचक था पर अब हिरण के लिए प्रयुक्त होता है।

गो : संस्कृत में इसका अर्थ है गमन करनेवाला पर अब गो गाय के लिए प्रयुक्त होता है।

भार्या : पहले जिसका भरण -पोषण किया जाए अर्थात पत्नी। यद्यपि आज की कई पत्नियाँ भरण-पोषण की अपेक्षा नहीं रखती। आज कई पत्नियाँ पति का भरण-पोषण करती हैं।

श्राद्ध : जो काम श्रद्धा के साथ किया जाता है वह श्राद्ध था, पर अब मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है।

स्वाद : पहले जो खाने योग्य पदार्थ पर अब स्वाद।

वेदना : सुख - दुःख दोनों की होती थी, अब केवल दुःख की वेदना।

घृणा : दया और घृणा अब केवल नफरत।

बू, गंध, बास : पहले अच्छी बुरी दोनों अब केवल बुरी गंध।

munotes.in

घृत : सींचना - घी पानी दोनों से पर अब केवल घी।

मुर्ग : पहले अर्थ चिड़िया, अब केवल मुर्ग।

वत्स : किसी का भी बच्चा, अब केवल मनुष्य का बच्चा

बाछा : किसी का बच्चा, अब केवल गाय का बच्चा।

बछेड़ा : बच्चा, अब केवल घोड़े का बच्चा।

पाड़ा : बच्चा, अब केवल भैंस का बच्चा।

छौंना : बच्चा, अब केवल सुअर का बच्चा।

मेमना - बच्चा, अब ये भेड़ का बच्चा

पृथ्वी : फैली होने के कारण पृथ्वी (भूमि) नाम पड़ा। परंतु हर फैली हुई चादर, तम्बू आदि को पृथ्वी नहीं कहते।

मनुष्य : पहले मनन चिंतन करने वालों को मनुष्य कहते थे। आज मनुष्य एक जातिवाचक नाम हो गया। अतः चिन्तक और मुर्ख सभी मनुष्य है।

सर्प : पहले रेंगनेवाला अब केवल साँप।

सभ्य : सभा में बैठने वाला सभ्य था। आजकल सभ्य का अर्थ शिष्ट है। समास, विशेषण, उपसर्ग तथा प्रत्यय के कारण भी शब्दों का अर्थ संकुचित हो गया।

३) अर्था देश :

अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच में अर्थ बदलता है, फिर भी मूल अर्थ सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता। अर्थादेश वहाँ होता है जहाँ शब्द का मूल अर्थ ही जाता रहता है। उसके स्थान पर उसमें किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होने लगती हैं। अर्थादेश में किसी शब्द का मूल अर्थ पूर्णतया लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया अर्थ प्रचलित हो जाता है। इस प्रकार जब किसी शब्द का मूल अर्थ पूर्ण अर्थ से ही लुप्त हो जाए और उसके स्थान पर नया अर्थ प्रचलित हो जाए वहाँ अर्थादेश होता है। जैसे -

राक्षस : इसका मूल अर्थ बहादूर या रक्षा करने वाला था, परंतु कालान्तर में अपने इस अर्थ को त्यागकर सर्वथा नवीन हिंसक, कुख्यात अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगा।

munotes.in

सह ; संस्कृत में सह् धातु का अर्थ था विजय या जीतना। बाद में इसका अर्थ हो गया सहन करना।

दुहितृ : इसका मूल अर्थ था गाय दोहने वाली। बाद में अर्थ हो गया लड़की पुत्री।

मेये : मूल अर्थ था माता, पर अब लड़की या पत्नी।

अनुग्रह : मूल अर्थ था पीछे से सहारा देना, पर अब अर्थ है कृपा।

गँवार : इसका मुल अर्थ गाँव का रहने वाला, व्यक्ति पर अब अर्थ है मूर्ख व्यक्ति।

मौन : मौन शब्द मूलतः मुनियों के कर्म को कहते थे। आज वह चुप्पी का वाचक है।

देवानां प्रिय : देवों को प्रिय, पर अब मुर्ख।

पाखंड : अशोक के समय एक संप्रदाय बना। इन्हें दान दिया जाता था। आज इसका अर्थ ढोंग, दिखाया हो गया है।

आकाशवाणी : इसका मूल अर्थ था देवताओं की वाणी, अब All India Radio के लिए प्रयुक्त होता है।

साहस : मूल अर्थ चोरी, डकैती, अब उत्साहपूर्ण कार्य।

मुग्ध : मूल अर्थ मूर्ख, अब मोहित करना, इसका विकसित रूप कपड़ा है। यह अच्छे कपड़ों के लिए प्रयुक्त होता है।

हरिजन : मूल अर्थ 'ईश्वर का भक्त' आज अस्पृश्य या अछूत जाति का वाचक है।

उष्ट्र : वेदिक काल में अर्थ था 'भैंसा' किन्तु कालान्तर में वह ऊँट का वाचक बन गया है। अँग्रेजी में Sky शब्द का अर्थ था बादल, पर आज वह आकाश का वाचक हो गया हैं। Constable का अर्थ था घुड़साल का सहायक पर आज अर्थ है पुलिस। Gate का अर्थ मार्ग था रास्ता पर बाद में अर्थ हो गया फाटक या दरवाजा।

४) अर्थोत्कर्ष :

अर्थ का उत्कर्ष अर्थोत्कर्षं कहलाता है - जब कोई शब्द बुरे अर्थ को छोड़कर अच्छे अर्थ को ग्रहण कर लेता है - तब अर्थोत्कर्षं माना जाएगा। अर्थ का ऊपर उठना खराब से अच्छा बन जाना अर्थोत्कर्ष है। जैसे -

साहस : पहले व्यभिचार, हत्या, चोरी, डकैती, अब हिम्मत।

munotes.in

फिरंगी : पहले पुर्तगाली डाकू का वाचक अब यूरोपियन।

इंडियन : पहले घृणा से गुलाम, अब गर्व से हम इंडियन कहते हैं।

मुग्ध : पहले मूर्ख, आज मोहित, आशिक, सुंदर का वाचक।

पदार्थ : पहले सामान्य वस्तू, आज उत्तम वस्तु स्वादिष्ट पदार्थ।

५) अर्थोपकर्ष :

जिन शब्दों के अर्थो में मूल अर्थ की अपेक्षा गिरावट आ जाती है, जब अर्थ अच्छे से बुरा बन जाए तब अर्थपकर्ष माना जाएगा। जैसे -

शब्द	मूल अच्छा पदार्थ	बुरा अर्थ
भैया	भाई का वाच	बंबई में दूध वाला
बौद्ध	जाग्रत, जिससे आत्मबोध हुआ हो।	बौद्ध धर्म
पाखंड	एक संप्रदाय	ढोंग
पुंगव	अच्छा, श्रेष्ठ	मुर्ख
जुगुप्सा	छिपाने की इच्छा	घृणा
क्रोष्टा	चिल्लाकर बोलना	गीदड़
गर्भिणी	गर्भवर्ती स्त्री	केवल पशु के लिए
नग्न लुंचित	जैनियों में जो साधु नंग रहते थे और केश लुंच करते थे	नंगा, लुच्चा, चरित्रहीन
ब्रह्माबंधू	ब्राह्मणों के हितैषी	निंघ कर्म करनेवाला
वज्रबटुक	बह्मचारी	मूर्ख
अभियुक्त	प्रामाणिक विश्वसनीय पुरुष	आरोपी
महाब्राह्मण	महान ब्राह्मण	स्मशान भूमि में मृतकों के वस्त्र बटोरने वाला ब्राह्मण
गुरु	आदर्श गुरुजन	बदमाश
पिल्ले	पुत्र का बच्चा	कुत्ते का वाचक
वेश्या	संस्कृत में अर्थ था जो अच्छे वस्त्र पहनकर लोगों को आकर्षित करने वाली स्त्री	व्याभिचारी स्त्री
गुलाम	लड़का	नौकर
शौच	पवित्र कार्य	मल त्याग

munotes.in

६) अर्थोपदेश :

अशूभ, अमंगकारी, अप्रिय अर्थो के बोधक शब्दों के स्थान पर मृदु, मंगलकारी तथा प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थाप्रदेश कहलाता है। जैसे - संस्कृत में मृत्यु होने पर 'पंचत्वगन', 'दिवगंत', हिन्दी में 'स्वर्ग सिधार' कहते हैं। प्रातःकालीन कार्य को 'शौच' कहते है। वैधव्य के लिए 'चुडी टूटना' दुकान बंद करने के लिए 'दुकान बढ़ाना' दिया बुझाने के लिए 'दिया बढ़ाना' चेचक के लिए 'माता' जेल की 'ससुराल' कैदी के लिए 'शाही मेहमान' गर्भवती के लिए 'पाँव भारी होना' आदि शब्दों का प्रयोग अर्थाप्रदेश के उदाहरण है।

३.५ अर्थ परिवर्तन के कारण

ब्लूम फिल्ड ने अर्थ परिवर्तन की व्याख्या करते हुए लिखा है - वे नवचरन जिनके द्वारा व्याकरणिक कार्यकारिता में परिवर्तन होकर कोशीय अर्थ में परिवर्तन होता है। उन्हें अर्थ परिवर्तन की कोटि में रखते हैं। अर्थ का शब्दार्थ यद्यपि काल्पनिक एवं सांकेतिक है, परंतु अर्थबोध का साक्षात सम्बन्ध मन से है। मानव मन गतिशील, चंचल, भावुक, संवेदनशील एवं नवीनता का प्रेमी है। अतः विभिन्न परिस्थितियों में मानव मन की एक सी स्थिति नहीं होती। यही कारण है कि राग-द्वेष, क्रोध, घृणा, आवेश आदि में उच्चारित शब्दों के अर्थो में अंतर आ जाता है। अर्थ परिवर्तन प्रारंभ में व्यक्तिगत होता है। परंतु बाद में समाज के द्वारा स्वीकृत होने पर भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है और भाषा का अंग बन जाता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक हैं।

भारतीय काव्यशास्त्रियों - मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज, जगन्नाथ आदि ने अर्थभेद, या अर्थ परिवर्तन के कारण रूप में लक्षणा और व्यंजना शब्द-शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया है। पाश्चात्य विद्वानों में प्रो. टकर एवं मिशेल ब्रेआल ने इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। डॉ. तारापुरवाला ने अपनी पुस्तक Element of the Science of Language में प्रो. टकर के अनुसार अर्थ - परिवर्तन के बारह कारण माने हैं। कुल मिलाकर अर्थ - परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

बल का अपसरण :

किसी शब्द के प्रधान अर्थ से हटकर बल गौण अर्थ पर आ जाना बल का अपसरण कहलाता है। जैसे -

गोस्वामी : गायों का स्वामी, पहले गायों का स्वामी धनी माना जाता था। परिणामतः गोस्वामी मानवीय था। अब गोसाई एक जाति हो गई है।

जुगुप्सा : जुगुप्सा शब्द मूलतः 'गुप' रक्षण धातु से बना है। 'गुप' का अर्थ है रक्षण करना। गायों की रक्षा करना ही उसका मूल अर्थ था। पालन छिपाकर भी किया जाता है। अतः छिपाना अर्थ हुआ। यही अर्थ प्रधान हो गया। छिपाना घृणित वस्तु होती है, अतः घृणित कार्य है। अब घृणा अर्थ हो गया। निंदा भी अर्थ हो गया।

गुलाम : 'गुलाम' शब्द का मूल अर्थ था 'लड़का' नौकर के रूप में लोग लड़के रखने लगे। अतः गुलाम अर्थ हो गया।

पीढ़ी परिवर्तन : यह अनिवार्य नहीं कि किसी शब्द का जो एक अर्थ एक पीढ़ी के लिए है, वही दूसरी पीढ़ी के लिए भी हो। पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे -

पत्र : पहले पते पर लिखा जाता था। दूसरी पीढ़ी ने अर्थ ग्रहण कर लिया कि जिस पर लिखा जाए वह पत्र। परिणामतः भोजपत्र अर्थ हुआ। जिस पर लिखा जाए, वह पतली-चपची वस्तु पत्र समझी जाने लगी। सोने के पत्र चाँदी का पत्र आदि अर्थ बना। अब वह लिखित पत्र Letter का बोधक हो गया।

अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेना :

जब हम किसी दूसरी भाषा में से शब्द उधार लेते है, तो उसके मूल अर्थ में हम अपना नया अर्थ भी जोड़ देते हैं। जैसे -

फारसी मुर्ग : यह पक्षी का वाचक है। पर हमारी भाषा में आकर वह मुर्गा बन गया। पक्षी सामान्य से पक्षी विशेष बन गया।

दीवार : यह शब्द रोम से आया। इसका अर्थ चाँदी या सोने का सिक्का था। भारत में यह केवल सोने के सिक्के (अशर्फी) के लिए प्रयुक्त होता है।

एक भाषा - भाषी लोगों का विखर जाना:

जब किसी कारणवश एक भाषा - भाषी लोगों का समूह विखर जाता है, तो वह अपनी शब्दावली भी साथ ले जाता है। उनका एक-दूसरे से सम्पर्क टूट जाता है। परिणामतः एक शब्द दूसरे स्थान पर भिन्न अर्थ देता है। जैसे -

संस्कृत	**हिन्दी**	**बंगाली**	**गुजराती**
नील	नील	+	लीलो (हरा)
वाटीका	वारी	थर	वाड़ी (Garden)
मृग (पशु)	पशु-विशेष	पशुविशेष	पंशुविशेष

हिन्दी चेष्टा, मराठी मे मजाक हो गया, हिन्दी शिक्षा मराठी में सजा हो गया है।

परिवेश भेद : परिवेश या वातावरण में अंतर हो जाने के कारण शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवेश भेद अनेक कारणों से हो सकता है।

भौगोलिक वातावरण :

परिवेश या वातावरण में अंतर हो जाने के कारण शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। अपनी प्रिय वस्तुओं के नाम अन्यत्र जाकर भी लोग रखते हैं। वेद मे 'उष्ट्र' शब्द भैंसा के

अर्थ में है बाद में 'उष्ट्र' का प्रयोग ऊँट के अर्थ में होने लगा। इसका कारण आर्यों का भौगोलिक परिवेश परिवर्तन ही है।

'CORN' शब्द के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थ हैं - इंग्लैड में गेहूँ, स्काटलैंड में 'बाजरा' तथा अमेरिका में 'मक्का'। इसका एक मनोरंजक उदाहरण इस प्रकार है विश्वयुद्ध के समय अंग्रेजों ने अमेरिका से 'Corn' गेहूँ मँगाया था। अमेरिका ने अपने अर्थ के अनुसार 'मक्का' भेज दिया बाद में जाँच कराने पर भेद खुला। हिन्दी में 'खोता', 'खोती', समय नष्ट करने का अर्थ देते है - समय खोता, समय खोती है। पर पंजाब में 'खोता' (गधा), 'खोती' (गधी) के अर्थ में प्रयुक्त होते है। इसी प्रकार पश्चिमी उ.प्र. में लाला का अर्थ वैश्य है। पूर्वी उ.प्र. में कायस्थ है। उ.प्र. में 'ठाकुर' का अर्थ 'क्षत्रिय' बिहार में 'नाई' और बंगाल में 'रसोइया' है।

सामाजिक परिवेश भेद :

समाज में परिवेश भेद से अर्थ भेद हो जाता है। अँग्रेजी में Mother, Father, Sister, Brother आदि शब्द विभिन्न सामाजिक वातावरण में विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त होते हैं। परिवार में ये शब्द 'माता', 'पिता', 'बहन', 'भाई' अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अस्पताल में 'मदर' - मैट्रन के लिए 'सिस्टर' और नर्स के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में 'फादर' पादरी (पुरोहित) के लिए तथा 'ब्रदर' 'सहयोगी पादरी' के लिए प्रयुक्त होते है।

हिन्दी में 'भाई' शब्द - साथी, मित्र, हितैषी, दुकानदार, नौकर आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। 'बहन' शब्द बहन की आयु की कन्याएँ, सहेलियाँ आदि का बोध कराता है।

सामाजिक परिवेश के कारण दी एकार्थक होन पर भी हिन्दु 'परमात्मा' को 'ईश्वर', ईसाई 'God', मुसलमान 'अल्लाह' कहता है।

धार्मिक परिवेश भेद :

धार्मिक परंपराओं के कारण शब्दों के अर्थों में अंतर आ जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार दो वेद जानने वालों को 'द्विवेदी' तीन वेद जाननेवाले को 'त्रिवेदी' या 'त्रिपाठी', चार वेद जानने वाले को 'चतुर्वेदी' कहते हैं। परंतु ये शब्द अब ब्राह्मणों की जाति -विशेष के वाचक रह गए है।

राजनीतिक परिवेश भेद :

राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर हो जाने के कारण शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उनमें मूल भावना नष्ट हो जाती है। व्यापक अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे -

पारिवारिक गृह कलह के लिए	महाभारत
दुराग्रह पूर्ण कार्य के लिए	सत्याग्रह
हठ युक्त आंदोलन के लिए	क्रांति
झगड़े में मरने वाले के लिए	शहीद
दुष्ट ह्रदय को भी	महाशय, विशाल ह्रदय
राष्ट्र को पीछे ले जाने वाले को भी	नेता

munotes.in

भौतिक परिवेश भेद :

भौतिक साधनों में परिवर्तन होने के कारण वस्तुओं के नाम में भी परिवर्तन हो जाता है। नई वस्तुओं के निर्माण या अविष्कार के साथ यह समस्या आ जाती है कि उनका नाम क्या रखा जाए। इसके लिए सरल उपाय यही अपनाया जाता है कि कोई पुराना शब्द जो उसके तुल्य वस्तु का बोधक हो, उसे उस अर्थ में प्रयोग में लाया जाए। पीने के लिए प्रयुक्तपात्र का प्राचीन नाम 'कमण्डल' (लोटा) आदि ज्ञात है, परंतु 'गिलास' जैसे बर्तन का नाम अज्ञात है। अँग्रेजी शब्द Glass काँच के लिए है। अँग्रेजी में 'शीशा' या 'दर्पण' को Glass या Lookin (लुकिन ग्लास) कहते हैं। पहले काँच का बना अतः उसे ग्लास (गिलास) कहा गया। परंतु अब अर्थ विस्तार होने से धातु, प्लास्टिक आदि के बने पात्र को भी ग्लास कहा जाता है। 'Pen' शब्द का इतिहास भी इसी प्रकार का है। पहले पक्षी के पंख को 'Pen' कहते थे। पहले कलम पक्षी के पंख से बनती थी। अतः उसे Pen कहा गया। अब Pen फाउन्टन पेन, डॉट पेन आदि के लिए प्रयुक्त है।

शिष्टाचार एवं विनम्रता :

शिष्टाचार एवं विनम्रता मनुष्य की कुलीनता का सूचक है। इसमें अहंभाव का परित्याग है। अत एंव अपने इष्टदेव, पूज्य, राजा आदि का बहुत बढ़ा -चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और अपने को तुच्छ समझा जाता है। जैसे भक्त अपने को दीन, पतित, पापी आदि कहा जाता है तो परमात्मा को दीन-बंधु, पतित - पावन, पालनकर्ता, राजा को महाराजा, अन्नदाता, जहा पनाद, जगत्पालक आदि कहा जाता है।

अशोभन के लिए शोभन शब्द :

मनुष्य अशोभन से बचना चाहता है। अतः शोभन शब्द प्रयुक्त करता है।

अशुभ :

मृत्यु के लिए देहावसान, बैकुण्ठवास, पंचत्व, स्वर्गासिधारण, लाश के लिए शव, मिट्टी, वैधव्य के लिए चूड़ी टूटना, लुट जाना, माँग सफेद होना, सिंदूर पूछ जाना आदि।

अश्लील :

लज्जाजनक शब्दों का अप्रयोग। इसमें मल-मूत्र–त्याग, नम्रता, यौन-कार्य आदि आते हैं। जैसे - मलत्याग के लिए - शौच, टट्टी, पाखाना मैदान जाना
मूत्र त्याग के लिए - लघुशंका
स्तन के लिए - छाती
गर्भिणी के लिए - पाँव भारी होना

कटुता या भयंकरता :

भयंकर वस्तु, अप्रिय या उससे भय होने से जैसे
साँप - लम्बा कीड़ा
चेचक - शीतला माता, महाराणी
हैजा - पेट चलना

munotes.in

अंध विश्वास :

अंधविश्वास के कारण पति, पत्नि, गुरु बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। जैसे
पति के लिए - अमुक के पिता, सुनोजी
पत्नि के लिए - अमुक की माँ, ऐं मालकिन, अमुक की म्हातारी

गन्दे या हीन कार्य :

अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे -
भंगी - जमादार, मेहतर
चोर - तस्कर
नाई - राजा (पंजाबी)
मेहतर - राजा (बुलंद शहर)
नौकर - Servent न कह कर House associate
चपरासी - सेवक
क्लर्क - बाबु
रसोइया - महाराज

जुगुप्सा :

इसका अर्थ है रक्षा करना। रक्षा योग्य वस्तु छिपाकर रखी जाती है इसी कारण जुगुप्सा का अर्थ छिपाने योग्य हो गया। धीरे-धीरे 'जुगुप्सा' शब्द का प्रयोग घृणा के अर्थ में होने लगा। घृणास्पद बातों का प्रयोग अशिष्ट समझा जाता है। यौन अंग, यौन भावना के लिए शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे -
मैथून के लिए - रति, कर्म, संभोग
नग्न के लिए - दिगंबर

सादृश्य :

सादृश्य के कारण भी शब्दों के अर्थो में अंतर आ जाता है। जैसे -
प्रक्षय - 'विनय' पर अब आश्रय
उत्क्रांति - 'मृत्यु' पर अब क्रांति
उत्क्रोश - 'चिल्लाना' पर अब आक्रोश
चेष्टा - 'प्रयत्न' मराठी में मजाक
उपन्यास - 'Novel' तेलुगु में भाषण

अज्ञान :

अज्ञानता के कारण बहुत से शब्दों का अशुद्ध प्रयोग होने लगता है, बाद में वे शब्द भाषा में चल पड़ते हैं। जैसे -
असुर - देव अब राक्षस
धन्यवाद - प्रशंसा अब शुक्रिया
फिजुल - बेकार अब वे फिजुल

munotes.in

प्रयोगाधिक्य :

कुछ शब्द अधिक प्रयोग के कारण अपना मूल महत्वपूर्ण अर्थ खो जाते हैं। जैसे -
श्रीमान - पहले आदर सूचक अब औपचारिक।
बाबु - पहले बड़प्पन सूचक अब साधारण व्यक्ति।

साहचर्य :

साहचर्य के कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे -
सिन्धु - बड़ी नदी सिंध से सिंध प्रदेश।
सैन्धव - सिंधु देश के बना पर अब नमक घोडा।
पत्र - 'पता' पर अब लिखित पत्र।

पुनरावृत्ति :

कभी-कभी शब्दों का दुहरा प्रयोग चल पड़ता है। बिंध्य पर्वत के स्थान पर बिंध्याचल पर्वत मलय के लिए मलयगिरि, मलयाचाल। जैसे -

हिमालय - हिमालय पर्वत
सज्जन - सज्जन पुरुष

अन्य भाषा का प्रभाव :

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कारण अन्य भाषाओं का प्रभाव दूसरी भाषाओं पर पड़ता है। शब्द का अन्य भाषा में अर्थ बदल जाता है। जैसे -

संस्कृत में - समारोह - चढ़ता अब उत्सव
समाचार - ख्याति अब खबर
पंजाबी में - रोटी सड़ गई - रोटी जल गई
मरम्मत करना - ठीक करना अब पीटना

व्यंग्य - प्रयोग :

इसे काव्यशास्त्र में विपरीत लक्षणा कहते हैं। किसी पर आक्षेप करने या व्यंग्य करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो सर्वथा उलटा अर्थ बताते हैं। जैसे -
मुर्ख को वृहस्पति,
झूठे को युधिष्ठिर,
कुलक्षणा को सती,
अनाड़ी को पंडित,
असुन्दर को कामदेव का अवतार
दीप को लक्ष्मीपति आदि।

गौण प्रयोग :

गुण साम्य के आधार पर प्रयोग जैसे - सुन्दर कल्पना, कटु अनुभव, मधुर लय, मीठी मुस्कान, कटु सत्य, नीरष भाषण आदि।

लाक्षणिक प्रयोग :

भावों और अनुभूतियों की सरल, सुंदर एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है। इससे भाषा में रोचकता एवं मधुरता आ जाती है। इसके लिए अनेक प्रकार अपनाएँ जाते हैं।

एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन :

कभी-कभी तत्सम शब्दों के साथ-साथ उसके तद्‌भव रूप का भी प्रचलन हो जाता है। कभी-कभी अर्थ भिन्नता आ जाती है। जैसे -

स्थान - देवी देवताओं का स्थान।

थान - पशु का थान, कपड़े का थान

स्तन - स्त्री से सम्बधित

गर्भिणी - स्त्री के लिए

धन - पशु से सम्बधित

किसी शब्द या वर्ग की प्रधानता :

किसी विशेषता या प्राधान्य से पशु या वर्ग का प्रतीक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे -

लाल झण्डा - कम्युनिस्ट का प्रतीक

गांधी टोपी - काँग्रेस का प्रतीक

भगवा टोपी - भाजपा का प्रतीक

अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द :

मोटर कार को - मोटर या कार

सायकिल रिक्शा को - रिक्शा

रेल्वे स्टेशन - स्टेशन

घोड़ा गाडी - गाड़ी

भावावेश :

भावावेश में कभी-कभी विचित्र अर्थ में शब्दों का प्रयोग करते है। जैसे - शैतान, साले, गधा, उल्लू के पट्ठे आदि

एक वस्तू का नाम पूरे वर्ग को देना :

सामान्य के लिए विशेष प्रयोग जैसे -

स्याही - काली स्याही। अब हर रंग को स्याही

पैसे - मुझे पैसे दीजिए। पैसे - धन

समास, उपसर्ग, लिंग - भेद :

समाजयुक्त और असमस्त शब्दों के अर्थो में अंतर होता है। जैसे -

कृष्ण सर्प : सर्प विशेष - काला साँप (कोई भी साँप)

राज पुरुष - राजकीय कर्मचारी

कविराज्य - वैद्य

munotes.in

संक्षिप्तता :

प्रयत्न लाघव मानव की प्रवृत्ति है। अतः वह थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना चाहता है। जैसे - रामचंद्र को रामा, कृष्णचंद्र को कृष्णा।

किसी राष्ट्र या जाति को अन्य राष्ट्र, जाति संप्रदाय के प्रति अनादर :

फिरंगी पहले पुर्तगाली लोगों का वाचक था, आज अँग्रेजो का वाचक बन गया। 'काफिर' का मूल अर्थ था - वह व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता, आज हिन्दूओं के लिए असम्मानार्थ प्रयुक्त होने लगे है। इसी प्रकार फारसी में हिन्दू का अर्थ नीच, गुलाम हो गया है। इसी कारण आर्य - समाजी जूते का कुरान, शौचालय को पाकिस्तान कहते हैं।

गौण अर्थ की प्रमुखता :

साहचर्य आदि कारणों से गौण अर्थ का मुख्य अर्थ में प्रयोग होने लगता है। संस्कृत में देश के आधार पर देशज व्यक्ति। 'पंजाब बहादुर है' में पंजाब पंजाबी के लिए है। असीरिया देश के आधार पर असुर नाम चले। इसी प्रकार सुलेमान पर्वत पर होने से सुलेमानी नमक, कश्मीर में होने से केसर को काश्मीर, चीन से संबंध होने से चीनी मिट्टी नाम पड़ा है। तंबाकू सर्वप्रथम सूरत बंदरगाह पर उतारी गयी, अंतः सुरती नाम पड़ा।

३.६ सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से छात्र अर्थ विज्ञान को विस्तार से जान सके हैं। इसमें अर्थ विज्ञान की अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ एवं कारण आदि के माध्यम से अर्थ विज्ञान क्या है? अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? अर्थ विज्ञान में शब्दार्थ के आन्तरिक पक्ष का विवेचन, विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसे समझाने का प्रयास रहा है। साथ ही अर्थ और शब्द के संबंध में अर्थ शब्द की आत्मा है और शब्द शरीर है।

३.७ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

१) अर्थ विज्ञान में किसका विवेचन-विश्लेषण किया जाता है?
२) आचार्य पाणिनि ने भाषा का सार क्या माना है?
३) 'शब्द द्वारा अर्थ की प्रतिति या अभिव्यक्ति होती है' यह कथन किसका है?
४) मुनि यास्क ने अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएँ मानी है?
५) निम्नलिखित किस विद्वान ने अर्थ परिवर्तन की छह दिशाएँ मानी है?
६) 'जुगुप्सा' शब्द मूलतः किस धातु से बना है?

३.८ लघुत्तरीय प्रश्न

१) अर्थ विज्ञान की अवधारणा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।
२) अर्थ विस्तार को स्पष्ट कीजिए।

३) भौगोलिक वातावरण से अर्थ में परिवर्तन होता है? संक्षिप्त में बताएँ?

३.९ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१) अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
२) अर्थ विज्ञान से संबंधित अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

३.१० संदर्भ ग्रंथ

१. भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
२. भाषा विज्ञान - भोलानाथ तिवारी
३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख
४. भाषा विज्ञान की रूपरेखा - द्वारका प्रसाद सक्सेना
५. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराव सक्सेना
६. भाषा विज्ञान - रमेश रावत

❖❖❖❖

munotes.in

४

हिंदी की रूप रचना

इकाई की रूपरेखा :

४.० इकाई का उद्देश्य

४.१ प्रस्तावना

४.२ हिंदी की शब्द रचना, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, समास

४.२.१ हिंदी की शब्द रचना

४.२.२ धातु

४.२.३ उपसर्ग

४.२.४ प्रत्यय

४.२.५ समास

४.३ लिंग, वचन, कारक के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूपांतरण

४.३.१ संज्ञा

४.३.२ सर्वनाम

४.३.३ विशेषण

४.४ सारांश

४.५ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

४.६ लघुत्तरीय प्रश्न

४.७ दीर्घोत्तरी प्रश्न

४.८ संदर्भ ग्रंथ

munotes.in

४.० इकाई का उद्देश्य

- पाठ के अध्ययन के बाद हिन्दी व्याकरण में शब्द की रचना की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- हिन्दी व्याकरण में शब्द-धातु की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे ।
- उपसर्ग, प्रत्यय की जानकारी और उनका प्रयोग करना सीख पाएँगे ।
- समास की रचना और उनका प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे ।
- लिंग, वचन और कारक के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपांतरण के व्याकरणिक नियम से अवगत हो पाएँगे ।

४.१ प्रस्तावना

व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध-शुद्ध पढ़ने, लिखने एवं समझने का ज्ञान प्राप्त करते है।

उदाहरण - व्याकरण के माध्यम से शब्दों का क्रम एवं उनके प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे - वह गाय काली है। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है जिसका शुद्ध वाक्य होगा - वह काली गाय है। इसी प्रकार शुद्ध वाक्यों एवं शब्दों का प्रयोग ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की महत्ता सर्व विहित है। इसकी महत्ता के बारे में संस्कृत में एक श्लोक है, जो व्याकरण की महत्ता को दर्शाता है।

"यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् स्वजनो श्रवजनो माऽभूत्सकलं शकलं सकृत्शकृत"

अर्थात हे पुत्र! यदि तुम बहुत अधिक विद्वान नहीं बन प्रति हो या बहुत अधिक नहीं पढ़ पाते हो, तो भी व्याकरण अवश्य पढ़ो, जिससे कि 'स्वजन' (अपने लोग) के स्थान पर 'श्रवजन' (कुत्ता) तथा 'सकल' (सम्पूर्ण) के स्थान पर 'शकल' (टूटा हुआ) और सकृत (किसी समय) के स्थान पर 'शकृत' (गौबर का घूर) ने हो जाए।

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तो समाज में उपहास के पात्र हो जाऐगें। अतः व्याकरण की महता सर्वविदित है।

४.२ हिंदी की शब्द रचना, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, समास

४.२.१ हिन्दी की शब्द रचना :

भाषा विज्ञान के आधार पर रूपों के दो भेद किए गए हैं - शब्द और पद। जैसे - राम, आग, जलना तथा तेज केवल शब्द हैं। परंतु जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं अथवा विभक्ति प्रत्यय आदि से संयुक्त होकर विविध व्याकरणिक रूप ग्रहण कर लेते है तब इन्हें पद कहा जाता है। जैसे -

राम ने तेज आग जलाई वाक्य में राम, तेज, आग और जलाई शब्द पद बन गए हैं। इनमें राम कर्ता है, तेज विशेषण है, आग कर्म कारण है और जलाई भूतकाल की क्रिया है। इस प्रकार शब्दों को जब व्याकरण के आधार पर विश्लेषित किया जाता है और उनकी वाक्य सम्बन्धी योग्यता का उल्लेख किया जाता है, तब ये शब्द ही पद की कोटि में आ जाते हैं।

संस्कृत के व्याकरणाचार्यो ने सार्थक ध्वनिसमूह से निर्मित पद को दो भागों में विभाजित किया है। १) प्रकृति २) प्रत्यय

प्रकृति से तात्पर्य उस मूल शब्द से है, जो पद की योग्यता प्राप्त करने से पूर्व पूर्णतः अखंड एवं अविभाज्य रहता है और प्रत्यय से तात्पर्य व्याकरण के उस रचनात्मक खंड से है, जो

मूल शब्द के साथ अंत में जुड़कर उसके अर्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप से कराता है। उदाहरण के लिए 'भारतीय' शब्द में 'भारत' मूल शब्द या प्रकृति है, जबकि 'ईय' प्रत्यय है। इसी तरह 'चुगुलखोर' शब्द में 'चुगुल' शब्द मूल शब्द या प्रकृति है जबकि 'खोर' प्रत्यय है। इस प्रकार प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से संपूर्ण व्यावहारोपयोगी सार्थक शब्दों का निर्माण होता है।

संस्कृत व्याकरण के पहले व्याकरण मुनि, यास्क ने अपने 'निरक्त' नामक ग्रंथ में प्रकृति या मूल शब्द के चार भेद किए हैं।

१) नाम : अर्थात पदार्थवाचक शब्द। जैसे - हाथी, मनुष्य, पर्वत
२) अख्यातः - अर्थात क्रियावाचक शब्द - जैसे - खाता है, जाता है।
३) उपसर्ग - अ (ज्ञान) सं (हार) अप (हार) आदि
४) निपात : जैसे इति, अहो, आदि, एवं

इसके बाद संस्कृत के मूर्धन्य वैयाकरण महर्षि पाणिनि ने अपने, 'अष्टाध्यायी' नामक व्याकरण ग्रंथ में मुनि यास्क द्वारा प्रयुक्त 'नाम' के स्थान पर प्रतिपादिक शब्द का प्रयोग किया है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी शब्द सार्थक हैं। क्योंकि नाम का अर्थ है वे सभी पदार्थ जिनका नामकरण हुआ हो तथा प्रातिपादिक का अर्थ है, जो प्रति पद में अर्थात प्रत्येक पद में विद्यमान हो। जैसे - भारतीय, भारतीयता, भारतीयत्व आदि पदों में 'भारत' शब्द विद्यमान है। अतः भारत एक प्रतिपादिक है। पाणिनि ने इस प्रतिपादक के तीन भेद किए है।
१) संज्ञा
२) सर्वनाम
३) विशेषण

संज्ञा : किसी व्यक्ति, पदार्थ तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
सर्वनाम : जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
विशेषण : जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे -

संज्ञा - राम, हिमालय, भलाई, बुराई आदि
सर्वनाम - तू, वह, मैं, वे आदि
विशेषण - सुन्दर, तेज, महान, कुशल

इस विशेषण के आधार पर मुनि यास्क के नाम की अपेक्षा पाणिनि का प्रतिपादिक शब्द अधिक युक्तसंगत एवं उपयुक्त दिखाई देता है, और यह स्पष्ट पता चलता है कि संज्ञा एक ऐसा प्रातिपादिक है, जो व्यक्ति, पदार्थ या भाव के नाम का द्योतक है।

संज्ञा का निर्माण प्रकृति और प्रत्यय के योग से होता है। संस्कृत में संज्ञा, शब्द दो प्रकार से मिलते हैं। इनमें से कुछ स्वरात्त हैं तो कुच व्यंजनान्त। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में मं स्वर रहता है, वे स्वरान्त कहलाते हैं। जैसे बालक, लता, मति, नदी आदि।

जिन संज्ञा शब्दों के अंत में व्यंजन आते है वे व्यंजनान्त कहलाते हैं।

munotes.in

जैसे - राजन्, शरद्, जगत्, विद्युत् आदि। आज हिन्दी में अधिकांशत स्वरान्त शब्दों का ही व्यवहार होता है। संस्कृत ग्रहित शब्द व्यंजनान्त है।

४.२.२ धातु :

संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व (कच्चा माल) है। इनकी संख्या लगभग २०१२ है। धातुओं के साथ उपसर्ग प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द (संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया) आदि बनते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संस्कृत का लगभग हर शब्द अन्ततः धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। कृ, भू, स्था, अन्, ज्ञा, युज्, गम्, मन, जन, दृश आदि कुछ प्रमुख धातुएँ हैं।

धातुओं से व्युत्पन्न कुछ शब्दों के लिए उदाहरण

१) कृ (करना)
संज्ञा - कार्य, उपकरण, कर्मन्, प्रक्रिया
विशेषण - कर्मठ, सक्रिय, उपकारी
क्रिया - करोति, नमस्कुरु, प्रतिकरोमि, कुर्म

२) भू (होना)
संज्ञा - भवन, प्रभाव, वैभव, भूत, उद्भव
विशेषण - भावी, भावुक, भावात्मक, भौगोलिक
क्रिया - भविष्यति, अभव, अभव, संभवेत

३) गम् (जाना)
संज्ञा - गति, आगन्तुक, जगत, संगम, प्रगति
विशेषण - गमनशील, सर्वगत, निर्गामी, सुगम
क्रिया - संगच्छ, निर्गच्छाति, उपगमिष्यामि

४.२.३ उपसर्ग -

शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश 'उपसर्ग' कहलाते हैं। इन उपसर्गों का अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता अर्थात स्वतंत्र रूप से इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। हिन्दी में मूख्य रूप से संस्कृत तत्सम शब्द पाए जाते हैं। इसके अलावा हिन्दी तथा उर्दू तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है।

संस्कृत के उपसर्ग	**अर्थ**	**शब्द रूप**
अ	(नहीं, अभाव, हीन, विपरीत)	अखंड, अनाथ, अधर्म, अडिग, अचल, अथाह
अन्	(नहीं, अभाव)	अनाचार, अनपढ, अनादि, अनेक, अनाथ
कु	(बुरा, हीन)	कुरूप, कुकर्म, कुंचाल, कुमंत्रण

उत्	(ऊँचा, श्रेष्ठ)	उत्कर्ष, उत्थान, उत्तम, उत्कंठा, उत्पन्न
उप	(समीप, छोटा, गौण)	उपमा, उपनिवेश, उपचार, उपभेद
उत्	(ऊँचा, श्रेष्ठ)	उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति, उत्कंठा
अव	(बुरा, नीचा, हीन)	अवगुण, अवनति, अवशेष, अवनत
सु	(अच्छा, सहज)	सुपुत्र, सुकर्म, सुगम, सुमन
स्व	(अपना)	स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वभाव
वि	(विशेष, उल्टा, विशेषता)	वियोग, विभाग, विज्ञान, विक्रय
प्रति	(ओर, विरूद्ध, सामने, प्रत्येक)	प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, प्रतिक्षण
चिर	(सदैव, बहुत)	चिरकाल, चिरायु, चिरंतन
तत्	(उसके जैसा)	तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात

हिन्दी के उपसर्ग

उपसर्ग	**अर्थ**	**शब्द रूप**
अध	(आधा)	अधजला, अधमरा, अधखिला, अधखाया
उ	(अभाव, रहित)	उजड़ा, उनींदा
कु	(बुरा, बुराई, निचला)	कुपात्र, कुख्यात, कुचाल, कुकर्म, कुमार्ग
दु	(बुरा, हीन)	दुबला, दुस्सह, दुकाल, दुसाध्य, दुर्जन, दुर्गम
बिन	(निषेध के बिना)	बिनदेखा, बिनब्याहा, बिनजाना, बिनबोया
भर	(पूरा, ठीक)	भरपूर, भरमार, भरपेट
स, सु	(अच्छा, उत्तम)	सपूत, सरल, सजग, सचेत, सरस, सुगम, सुकन्या, सुफल

उर्दू के उपसर्ग -

उपसर्ग	**अर्थ**	**शब्द रूप**
कम	(थोड़ा)	कमसिन, कमजोर, कमबख्त, कमउम्र
ना	(नहीं, अभाव)	नापसंद, नासमझ, नाजायज, नाबालिग

munotes.in

बद	(बुरा)	बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज, बदनाम, बदसुरत
खुश	(प्रसन्न)	खुशहाल, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशबू
बे	(बिना)	बेकसूर, बेरहम, बेईमान, बेनकाब, बेचारा, बेइज्जत
ला	(बिना)	लापरवाह, लाइलाज, लाचार, लाजवाब
हर	(प्रत्येक)	हररोज, हरपल, हरसाल, हरदिन
हम	(समान)	हमशक्ल, हमदर्द, हमराह, हमराज, हमवतन, हमदर्दी

व्युत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के दो मूल रूप होते हैं, रूढ़ और यौगिक रूढ़ शब्द किसी के मेल से नहीं बनते ये स्वतंत्र होते हैं; लेकिन यौगिक शब्दों की रचना रूढ़ शब्द के आदि या अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है। ये शब्दांश रूढ़ शब्द से मिलकर इसके अर्थ में परिवर्तन ला देते है। इस प्रकार नए शब्दों की रचना होती है। यही 'शब्द-रचना' कहलाती है। शब्द रचना के मुख्य तीन प्रकार है। १) उपसर्ग, २) प्रत्यय, ३) समास

४.२.४ प्रत्यय :

शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश 'प्रत्यय' कहलाते हैं। प्रमुख प्रत्यय नीचे दिए जा रहे हैं।

संज्ञा बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय :

आई - चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, सिलाई
आहट - मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट
आवट - मिलावट, लिखावट, दिखावट, सजावट
आन - उड़ान, मिलान, लगान, उफान, उठान
ई - मज़दूरी, तैराकी, नथनी, कथनी, तेजी, झिड़की
अक - चालक, पालक, पावक, गायक, नायक
ती - गिनती, बढ़ती, धरती, भरती, फबती
ना - पढ़ना, लिखना, देखना, खेलना, सोना
नी - कतरनी, धौंकनी, छाननी, ओढ़नी
ता - शिशुता, मनुष्यता, दानवता, मानवता, दासता
त्व - पुरुषत्व, बंधुत्व, स्त्रीत्व

विशेषण बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय :

आ - भूला, भटका, भूखा, मैला
इक - धार्मिक, नागरिक, नैतिक
आऊ - कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, खाऊ
आवना - डरावना, सुहावना, लुभावना
इत - आनंदित, समाहित, हर्षित
वान - धनवान, भाग्यवान, मूल्यवान
वाला - खानेवाला, पीनेवाला, पढ़नेवाला
ला - अगला, निचला, पहला, घुँघला

क्रिया बनाने वाले प्रत्यय :

ता - डूबता, चढ़ता, आता, जाता, रोता
आ - जागा, बैठा, लेटा, उठा
कर - सोकर, उठकर, बैठकर, लिखकर
ना - दौड़ना, खेलना, जागना, रोना

भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय :

पा - मोटापा, आपा, बुढ़ापा
आई - मोटाई, गोलाई, ऊँचाई
ता - सुंदरता, कुरूपता, दुष्टता, मनुष्यता
त्व - बंधुत्व, स्त्रीत्व, व्यक्तित्व, अस्तित्व
औती - मनौती, चुनौती

कतृवाचक प्रत्यय :

आर - कुम्हार, लुहार, सुनार
इया - रसोइया, सुखिया, दुखिया
अक - पाठक, सुधारक, लेखक
कार - कलाकार, पत्रकार, कहानीकार
एरा - चितेरा, लुटेरा, सपेरा, ठठेरा
गर - सौदागर, जादूगर, बाजीगर

कर्मवाचक प्रत्यय :

वाँ - पाचवाँ, सातवाँ, आठवाँ
सरा - दूसरा, तीसरा
हरा - इकहरा, दुहरा, तिहरा

स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय :

आ - प्रिया, बाला, शिष्या, सुता
ई - देवी, शेरनी, लड़की, बेटी, चाची
इन - धोबीन, सुनारिन, मालिन
आनी - देवरानी, जेठानी

munotes.in

क्रियाविशेषण बनाने वाले प्रत्यय :

पूर्वक - सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक

तः - साधरणतः, विशेषतः, सामान्यतः

शः - पंक्तिशः, अक्षरशः, वाक्यशः

उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है; जैसे -

शब्द	उपसर्ग	मूलशब्द	प्रत्यय
अमानवीयता -	अ +	मानवीय	+ ता
बेकारी -	बे +	कार	+ ई
ईमानदारी -	ई +	मान	+ दारी
निर्दयता -	र्निर +	दय	+ ता
अनुदारता -	अन +	उदार	+ ता
हमदर्दी -	हम +	दर्द	+ ई
अनजानी -	आ +	जान	+ ई
स्वदेशी -	स्व +	देश	+ ई
बदचलनी -	बद +	चलन	+ ई
परिपूर्णता -	परि +	पूर्ण	+ ता
अपमानित -	अप +	मान	+ इत
स्वाभाविक -	स्व +	भाव	+ इ
अभिमानी -	अभि +	मान	+ ई
निलंबित -	नि +	लंब	+ इत
बेवफाई -	बे +	वफा	+ ई
बेहोशी -	बे +	होश	+ ई

४.२.५ समास :

परिभाषा - "परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो, उस मेल को 'समास' कहते हैं।"

संस्कृत धातु अस् 'संक्षेप करना' में सम् उपसर्ग जोड़कर समास शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ 'संक्षिपीकरण' हुआ। जैसे - चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख भी कह सकते हैं।

समास रचना में दो शब्द (पद) होते हैं। पहला पद 'पूर्वपद' कहा जाता है और दूसरा पद 'उत्तरपद' तथा इन दोनों के समास से बना गया शब्द 'समस्तपद'।

जैसे -

पूर्वपद + उत्तरपद	समस्तपद	पूर्वपद + उत्तरपद	समस्तपद
दश + आनन (हैं जिसके)	दशानन	राजा + (का) पुत्र	राजपुत्र
घोड़ा + सवार (घोड़े पर सवार)	घुड़सवार	यश + (को) प्राप्त	यशप्राप्त

समास विग्रह :

जब समस्तपद के सभी पद अलग-अलग किए जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को समास-विग्रह कहते हैं। जैसे - 'सीता-राम' समस्तपद का विग्रह होगा सीता और राम।

munotes.in

समास के भेद :

१) तत्पुरुष समास
२) कर्मधारय समास
३) द्विगु समास
४) अव्ययीभाव समास
५) द्वंद्व समास
६) बहुव्रीहि समास

१) तत्पुरुष समास :

समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे - गुरुदक्षिणा का विग्रह है - 'गुरु के लिए गुरूदक्षिणा।' समस्त पद बनाने पर (गुरुदक्षिणा) के लिए विभक्ति का लोप हो गया है।

तत्पुरुष के भेद

तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं -

१) कर्म तत्पुरुष - जहाँ कर्म कारक की विभक्ति 'को' का लोप हो; जैसे -

समस्तपद	विग्रह	समस्तपद	विग्रह
सुखप्राप्त	सुख को प्राप्त	शरणागत	शरण को आगत
यशप्राप्त	यश को प्राप्त	ग्रामगत	ग्राम को गत
परलोगमन	परलोक को गमन	जेबकतरा	जेब को कतरने वाला

२) करण तत्पुरुष - जहाँ करण कारक को विभक्ति 'से' का लोप हो जाता हो; जैसे -

समस्तपद	विग्रह	समस्तपद	विग्रह
मदोध	मद से अंधा	मदमस्त	मद से मस्त
स्वरचित	स्व से रचित	दयार्द्र	दया से आर्द्र

३) संप्रदान तत्पुरुष - जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति 'के लिए' का लोप हो; जैसे -

समस्तपद	विग्रह
यज्ञशाला	यज्ञ के लिए शाला
राहखर्च	राह के लिए खर्च
गुरुदक्षिणा	गुरु के लिए दक्षिणा

४) अपादान तत्पुरुष - जहाँ अपादान कारक की विभक्ति 'से' का लोप हो जाता हो; जैसे -

समस्तपद	विग्रह
धनहीन	धन से हीन
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
जातिच्युत	जाति से च्युत

५) संबंध तत्पुरुष - जहाँ संबंध कारक की विभक्ति 'का' 'की', 'के' का लोप हो; जैसे -

समस्तपद	विग्रह
देवदास	देव का दास
राष्ट्रपति	राष्ट्र का पति
राज पुत्र	राजा का पुत्र
पराधीन	पर के अधीन
विद्यासागर	विद्या के सागर

६) अधिकरण तत्पुरुष - जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति 'में', 'पर' का लोप हो, जैसे -

समस्तपद	विग्रह
युद्धनिपुण	युद्ध में निपुण
पुरुषोत्तम	पुरुषों में उत्तम
विचारमग्न	विचार में मग्न

७) नञ समास - जहाँ निषेध के अर्थ में 'ने', 'अ' या 'अन्' का प्रयोग हो जैसे -

समस्तपद	विग्रह
अन्याय	न न्याय
असफल	न सफल
अनपढ़	न पढ़ा लिखा

२) कर्मधारय समास

जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो, वह 'कर्मधारय समास' कहलाता हैं।

विशेषण -	विशेष्य
नीलकमल -	नीला है जो कमल
पुरुषोत्तम -	पुरुषों में है जो उत्तम
अधपका -	आधा है जो पका

munotes.in

उपमान - उपमेय

देहलता - लता रूपी देह

चंद्रमुख - चंद्र के समान मुख

३) द्विगु समास

इसमें पहला पद संख्या वाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है; जैसे -

सतसई - सात सौ दोहों का समाहार

दविमु - दो गायों का समाहार

त्रिलोक - तीन लोकों का समाहार

४) अव्ययीभाव समास

इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है, वह अव्यय होता है। समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्ययीभाव पड़ा है। संस्कृत में अव्ययीभाव समास में पूर्वपद अव्यय होता है और उत्तरपद संज्ञा या विशेषता। जैसे - भरपेट, यथासंभव, यथास्थान आदि। लेकिन हिन्दी समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है; जैसे -

हाथों - हाथ (हाथ संज्ञा)

हर घड़ी (हर विशेषण)

अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण

आसमुद्र - समुद्र पर्यंत

आमरण - मरण - पर्यंत

आज्ञानुसार - आज्ञा के अनुसार

बखूबी - खूबी के साथ

बेफायदा - फायदे के बिना

प्रतिदिन - दिन - दिन

प्रत्यक्ष - आँखों के सामने

भरसक - पूरी शक्ति से

५) द्वंद्व समास :

जिस समस्तपद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच 'और', 'या', 'तथा', 'अथवा' जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो, उसे 'द्वंद्व समास' कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। जैसे -

राधा-कृष्ण - राधा और कृष्ण

राजा - रंक - राजा और रंक

भला - बुरा - भला और बुरा

पूर्व - पश्चिम - पूर्व और पश्चिम

६) बहुव्रीहि समास :

जिस समास में दोनों खंड प्रधान दों और समस्तपद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हों, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते है। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से 'वाला', 'वाली', 'जिसका', 'जिसकी', 'जिससे', आदि शब्द पाए जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद का विशेषण रूप ही होता है, जैसे -

विषधर - विष को धारण करने वाला (शंकर)
त्रिलोचन - तीन है लोचन जिसके (शंकर)
अष्टाध्यायी - आठ अध्यायों वाला (पाणिनी व्याकरण)
गजानन - गज के समान आनन (गणेश)
तिरंगा - तीन रंगो वाला (श्रीकृष्ण)

४.३ लिंग, वचन, कारक के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रुपांतरण :

४.३.१ संज्ञा - लिंग, वचन तथा कारक :

प्रकृतित : विकारी कोटि के शब्द होने के कारण तीन प्रकार के विकारक तत्वों के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है।

जैसे - बच्चा खेल रहा है। बच्ची खेल रही है।
शेर गरज रहा है। शेरनी गरज रही है।
घोड़ा बैठा है। घोड़ी बैठी है।

उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित किए गए शब्द लिंग के आधार पर रूपांतरित हुए हैं। इसी प्रकार वचन के आधार पर इन वाक्यों के संज्ञा शब्दों का रूपांतरण इस प्रकार होगा -

बच्चा खेल रहा है।	बच्चे खेल रहे हैं।
शेर गरज रहा है।	शेर गरज रहे हैं।
घोड़ा बैठा है।	घोड़े बैठे है।
बच्ची खेल रही है।	बच्चियाँ खेल रही हैं।
शेरनी गरज रही है।	शेरनियाँ गरज रही हैं।
कुत्ति दूध पी गयी।	कुत्तियाँ दूध पी गयी।
घोड़ी बैठी है।	घोडियाँ बैठी है।

उपर्युक्त संज्ञा शब्दों में लिंग तथा वचन के आधार पर जो रूप भेद दिखाई देता है, उसमें कर्ता कारक का शून्य प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। शून्य प्रत्यय के योग से बने पद - रूप को ऋतू (= सीधा) या मूलरूप कहते हैं। कारक चिन्हों के योग से बने पद रूप को विकृत रूप कहते हैं। जैसे - कुत्ते ने दूध पी लिया। कुत्तों ने दूध पी लिया। बच्चे को दूध चाहिए। बच्चों को दूध चाहिए। यह मोरनी का बच्चा है। ये मोरनियों के बच्चे हैं।

उपर्युक्त विकृत रूपों में लिंग वचन की कोटि के साथ-साथ कारक कोटि भी रूप विकार का आधार है। इन तीन कोटियों के आधार पर कुछ संज्ञा शब्दों के केवल चार रूप बनते हैं तो कुछ के केवल तीन ही।

जैसे - बच्चा, बच्चे, बच्चों, बाच्चो, बच्ची, बच्चियाँ, बच्चियों, बच्चियो (आठ रूप)
कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, कुत्तो, कुत्तिया, कुत्तियाँ, कुत्तियों, कुत्तियों (आठ रूप)

माली, मालियों, मालियों, मालिन, मालिनें, मालिनियों, मालिनियों (सात रूप)

माला, मालाएँ, मालाओं, मालाओ (चार रूप)

मुर्ति, मुर्तियाँ, मूर्तियों, मूतियो (तीन रूप)

पेड़ (पेड़) पेड़ों, पेडो (तीन रूप)

संज्ञा की लिंग व्यवस्था :

हिन्दी के कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग तथा कुछ शब्द स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों की लिंग कोटी सहजात है, अतः वाक्य में प्रत्येक संज्ञा शब्द या, तो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है या स्त्रीलिंग में। जैसे -
व्यक्तिवाचक संज्ञा - (पु.) रमानाथ, कोलकाता, शिवपुराण, दिसम्बर, सोमवार, ताजमहल आदि।
(स्त्री) शांतिदेवी, दिल्ली, रामायण, पूर्णमासी

जातिवाचक संज्ञा शब्द – (पु.) शेर, कान, पेड़, स्टूल, कोठा (स्त्री) शेरनी, नाक, बेल, बैन्चे, कोठी

समूह वाचक संज्ञा शब्द - (पु.) कुटुम्ब, गिरोह, मुच्छा, झुंड, बेडा, रेवड़ आदि।

(स्त्री) कक्षा, टोली, भीड़, मंडली, सभा, सोना आदि।

द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द - (पु.) वाँबा, तेल, दूध, पानी, सेना, आदि।
(स्त्री) घास, चाँदी, चाय, धातु, मिट्टी आदि।

भाववाचक संज्ञा शब्द (पु.) क्रोध, धैर्य, बचपन, ममत्व आदि।
(स्त्री) काट, चाल, छटपटाहट, ममता, शूरता आदि।

हिन्दी में व्यहत प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग - निर्णय बिना किसी विशेष कठिनाई से संभव है जो शब्द / नर पुरुष वर्ग से संबधित है, वे पुल्लिंग होते है और मादा। स्त्री वर्ग से संबंधित हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे - कुता, चूहा, दादा, पुत्र, बकरा, बालक, बेटा, बैल, माली, मुर्गा, मोर, राजकुमार, लड़का, शेर, हाथी आदि शब्द पुल्लिंग है। इनसे सम्बध मादा / स्त्री सूचक शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे - कुतिया, चुहिया, दादी, पुत्र, मालिन, हथिनी आदि।

munotes.in

हिन्दी में प्रचलित प्राणिवाचक कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द भी हैं जिनका स्त्रीलिंग स्वतंत्र शब्द नहीं हैं। जैसे - अजगर, उल्लू, केंचुआ, कौआ, खटमल, गिद्ध, चीतो, ततैया, पक्षी।

इसी प्रकार कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द भी हैं जिनका पुल्लिंग स्वतंत्र शब्द नहीं है। जैसे - कोयल, गिलहरी, गौरैया, चील, जूं, जोंक, तितली, बटेर आदि। ऐसे नित्य पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग संज्ञा शब्द से पूर्व 'मादा' शब्द जोड़ा जाता है। जैसे - मादा अजगर, मादा कौआ, मादा भालू आदि। इसी प्रकार ऐसे नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से पूर्व 'नर' शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर कोयल, नर चीता, नर मछली आदि।

संज्ञा की वचन व्यवस्था :

आधुनिक हिन्दी में दो वचन प्राप्त हैं -

१) एकवचन से एक व्यक्ति। पदार्थ की सूचना मिलती है।
२) बहूवचन एक से अधिक व्यक्तियों। पदार्थों की सूचना मिलती है।

हिन्दी के संज्ञा शब्दों में पद-स्तर, पदबंध - स्तर तथा वाक्य स्तर पर वचन - व्यवस्था मिलती है। इस व्यवस्था पर लिंग तथा कारक - व्यवस्था का भी परोक्षत : प्रभाव पड़ता है - जैसे - लड़का आया - लड़के आए - लड़के को संतरा। संतरे दो।

जातिवाचक संज्ञा शब्द सामान्यतः एकवचन तथा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। अन्य संज्ञा शब्द (व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक) सामान्यतः एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जब किसी विशेष संदर्भ में इन सज्ञाओं का बहुवचन में प्रयोग होता है, तब ये संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती हैं। जैसे -

हिमालय क्षेत्र में कई प्रयाग हैं।
भारत में जयचंदों तथा मीरज़ाफरों से बचाने की बड़ी आवश्यकता है।
कॉकटेल दो या अधिक शराबों से बनती है।
तुम्हारे स्कूल में कितनी कक्षाएँ लगती है ?

प्रत्येक वाणी की मुख्य तीन अवस्थाएँ होती है - जन्म, अस्तित्व, मरण।

कुछ संज्ञा शब्द नित्य बहुवचन कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है, जैसे - आँसू, ओंठ, दर्शन, प्राण, भाग्य, लोग, समाचार, हस्ताक्षर।

डर के मारे तेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे।
अफगानिस्तान के समाचार क्या है ?
आपके दर्शन करके मन गदगद हो गया।

संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम :

संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप लिंग, कारक तथा शब्दांत ध्वनि से प्रभावित रहता है। इन तीनों आधारों को दृष्टि से संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप तीन प्रकार से बनाए जाते है -

१) ऋजु रूप
२) तिर्थक रूप
३) संबोधन रूप

१) ऋजु रूप - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के ऋजु रूप दो-दो वर्गो में रखे जा सकते हैं -
क) 'लड़का' वर्ग
ख) 'बालक' वर्ग
ग) 'लड़की' वर्ग
घ) 'बालिका' वर्ग

२) तिर्थक रूप - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के तिर्थक रूप ऋजु रूपों की भाँति ही दो-दो वर्गों में रखे जा सकते हैं -
क) 'लड़का' वर्ग
ख) 'बालक' वर्ग
ग) 'लड़की' वर्ग
घ) 'बालिका' वर्ग

३) संबोधन रूप - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के संबोधन रूप एकवचन तथा बहु वचन में इस प्रकार बनते हैं -
हे राजा! - हे राजाओं!
अरे लड़के! - अरे लड़कों!
हे प्रभु! - हे प्रभुओं!
हे देवी! - हे देवियों!

वचन संबंधी कुछ विशेष नियम :
१) कुछ अरबी-फारसी शब्द अपने मूल बहुवचन रूप में कुछ लोगों के लेखन तथा भाषण में प्रचलित हैं जैसे - कागजात, गवाहात, जंगलात, मकानात, मालिकाम (काग, गवाह, जंगल, मकान, मालिक बालिका वर्ग के बहुवचन रूप)

२) कुछ अरबी - फारसी मूलतः बहुवचन शब्द हिन्दी में एकवचन में प्रयुक्त हैं। जैसे - अखबार, असबाब, औकात, औलाद आदि।

३) अरबी-फारसी से आगत अनेक शब्दों का बहुवचन रूप तथा अंग्रेजी और इसके माध्यम से आगत सभी शब्दों का बहुवचन रूप हिन्दी की अपनी वचन-व्यवस्था के अनुसार बनता है, यथा अखबार में अखबारों में, दवा-दवाएँ, मेम-मेंमें, हकीम ने हकीमों आदि।

४) कभी-कभी सारी जाति का बोध कराने के लिए एकवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे - कुता बहुत वफादार होता है। (=सभी कुते) गुलाब बहुत मनमोहक होता है, (=सभी गुलाब)

५) समाहारात्मक इकाई का बोध कराने बाद शब्द प्राय: एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे - मेरे पास बीस बीघा खेत है। छह मीटर की साड़ी। पचास रूपये के नोट। सोलह साल की वाली उम्र में। चौदह वर्ष का बनवास (न कि बीघे, मीटरों, रूपयों, सालों, वर्षों)

संज्ञा की कारक व्यवस्था :

हिन्दी में संज्ञा / सर्वनाम शब्द - रूपों के आधार पर व्यक्त व्याकरणिक संबंध कारक कहलाते है। इन विभिन्न व्याकरणिक संबंधों की अभिव्यक्ति कुछ कारक - चिहनों (बंदबंधकों / परसर्गों। अश्लिष्ट - श्लिष्ट विभक्तियों। परसर्गीय शब्दावली) से होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञादि पदों को पदबंध बनाने के कारक इन्हें बंदबंधक कहना अधिक तर्क-संगत है। पदबंधक वाक्य में पदबंधक के आठ व्याकरणिक संबंधों की सूचना देते हैं, जैसे -

व्यक्त - अव्यक्त कारक - चिह्न पदबंधक	कारक / व्याकरणिक संबंध - नाम
ϕ, ने	कर्ता
ϕ, को	कर्म
ϕ, से, के द्वारा, के कारण, के साथ	करण (/ साधन)
ϕ, को, के लिए	सम्प्रदान
से	अपादान / अलगाव
का / कि / की; रा / रे - री, ना, ने ना	संबंध
ϕ, में, पर, के ऊपर, के नीचे, के भीतर	अधिकरण
ϕ, ए, ऐ, हे, अरे...... संबोधन अव्यय	संबोधन

१) कर्ता कारक : वाक्य की मुख्य समापिका क्रिया का सम्पादक कर्ता कहलाता है। कर्ता का बोध करानेवाला शब्द - रूप कर्ता कारक होता है, जैसे - बच्ची नाच रही है। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। रोगी ने दवा खा ली है। मज़दूरों ने काम पूरा कर दिया था।

कर्ता कारक - चिह्न 'ने' का प्रयोग इन स्थितियों में होता है -

१) भूलना, लाना
२) बोलना
३) खासना इत्यादी

२) कर्म कारक : जिस व्यक्ति / वस्तु क्रिया - व्यापार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म का बोध करानेवाला शब्द रूप कर्म कारक में होता है, जैसे - माँ ने मुझे पत्र भेजा है।

३) करण कारक : क्रिया - व्यापार के साधन / माध्यम का बोध कराने वाले व्यक्ति / वस्तु को करण कहते हैं। करण का बोध करानेवाला शब्द - रूप करण कारक में होता है, जैसे - इस चाकू से मत काटो। यह सूचना चपरासी के द्वारा प्रत्येक विभाग में पहुँचा दी जाएँ। भूख के कारण कोई नहीं मरना चाहिए।

इन स्थितियों में भी करण कारक मिलता है -

१) हेतु / विशेषता - अर्थ में, जैसे प्यास / भूख से व्याकुल, रोग से पीड़ित; गुणों भसूर
२) 'कहना / बोलना / पूछना' क्रिया होने पर, जैसे - बच्ची से कुछ मत कहो / बोलो / पूछो।
३) विकार - सूचक के समय विकृत अंग
४) कर्मवाच्य के कर्ता के साथ, जैसे - बुड्ढे से चने नहीं चबाए जा रहे थे।
५) संस्कृत से आगत करण कारकीय कुछ पदों में, जैसे - मुखेन; कृपया; मनसा - वाचा - कर्मणा, येन केन प्रकारेण

४) सम्प्रदान कारक : जिसके लिए कुछ किया / दिया जाए, उस व्यक्ति / वस्तु को सम्प्रदान (=सम्यक प्रदात) कहते हैं। सम्प्रदान का बोध करानेवाला शब्द - रूप सम्प्रदान कारक में होता है, जैसे पाँच सौ का नोट तो मैं ने दूधवाले को दे दिया था।

५) अपादान कारक : जिस व्यक्ति / वस्तु से किसी के पृथकत्व की सूचना मिलती है, उसे अपादान कहते है। अपादान का बोध करनेवाला शब्द रूप अपादान कारक में होता है। जैसे - बच्चा अभी स्कूल से आया है। जैसे - सोमवार से कारखाना खुलेगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है।

६) संबंध कारक : क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द से जिस व्यक्ति / वस्तु - सूचक शब्द का संबंध होता है। उसे संबंधी कहते हैं। संबंधी का बोध करानेवाला शब्द रूप संबंध कारक में होता है। जैसे - ये रमेश की बेटियाँ है। यह रमेश का बेटा । घर है।

७) अधिकरण कारक : जो व्यक्ति / वस्तु किसी वस्तु या क्रिया आदि के आधार होते हैं, उन्हें अधिकरण कहते हैं। अधिकरण का बोध करानेवाला शब्द - रूप अधिकरण कारक होता है, जैसे - छोटे बच्चे दिन - रात में कई घंटे सोते हैं। आप यहीं बैठिए, मैं दस मिनट में आ रही हूँ। अधिकरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं - १) काल अधिकरण २) स्थान अधिकरण ३) भाव अधिकरण आदि।

८) संबोधन कारक : जिस व्यक्ति / वस्तू को किसी रूप में संबोधित किया जाए उसे संबोधी कहते है। संबोधी का बोध कराने वाला शब्द रूप संबोधन कारक में होता है, जैसे - ए भाई! जरा इधर आना। बहनों और भाइयों! अब तो इन अति स्वार्थी नेताओं की बातों में न आओ।

कभी-कभी संस्कृत के कुछ संबोधी शब्दों का हिन्दी में प्रयोग मिल जाता है, जैसे - भगवत्, महात्मन्, राजन्, श्रीमान्।

४.३.२ सर्वनाम - पुरुष, लिंग वचन तथा कारक :

सर्वनाम शब्दों का रूपान्तर मुख्यतः वचन तथा कारक के आधार पर होता है। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की भाँति लिंग-भेद नहीं पाया जाता; अतः रूपांतर की लिंग में कोई भूमिका नहीं होती। सर्वनाम शब्दों में पुरुष उनकी सहजता कोटि है, अतः रूपान्तर में कोई भूमिका नहीं होती। सर्वनाम शब्दों में पुरुष उनकी सहजता कोटि है, अतः रूपान्तर में पुरुष कोई विकार नहीं आता।

सर्वनाम - पुरुष - व्यवस्था :

सर्वनाम शब्दों में तीन पुरुष होते हैं - 'मैं', 'हम', उत्तम पुरुष के शब्द हैं, 'तू', 'तुम', 'आप' मध्यम पुरुष के शब्द है, शेष सभी, वर्तमान शब्द अन्य पुरुष के शब्द हैं।

सर्वनाम शब्दों के पुरुष का प्रभाव वाक्य की क्रिया के पुरुष-रूप पर पड़ता है।

सर्वनाम -लिंग व्यवस्था :

चूँकि कुछ सर्वनाम शब्द कुछ संज्ञा शब्दों के स्थानपत्र शब्द होते हैं, अतः ये शब्द उन संज्ञा शब्दों का लिंग ग्रहण कर लेते हैं, जिनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग होते है, जैसे - मोहन ने अपनी माँ से कहाँ मैं बाज़ार जा रहा हूँ। वहाँ से तुम्हारे लिए और अपने लिए दवा लेके आऊँगा। माँ बोली - मैं बाजार की दवा नहीं लूँगी। मेरे लिए दवा मत लाना।

इन वाक्यों में मोहन के स्थान पर प्रयुक्त 'मैं', 'अपने', पुल्लिंग है तथा माँ के लिए प्रयुक्त 'मैं' तुम्हारे, 'मेरे' स्त्रीलिंग है।

सर्वनाम में आरोपित लिंग का प्रभाव वाक्य की क्रिया पर पड़ता है।

सर्वनाम वचन व्यवस्था :

कुछ सर्वनाम शब्दों में चयन (एकवचन, बहुवचन) सहजात कोटि और कुछ शब्दों में आरोपित, जैसे - 'मैं', 'तुम', 'यह', 'वह' में एकवचन सहजात है तथा 'हम', 'तुम', 'आप' में बहुवचन सहजात है। अन्य सर्वनाम शब्दों के प्रयोग संदर्भ के अनुसार उनका एकवचन, बहुवचन रूप आरोपित है।

सर्वनाम शब्दों के वचन का प्रभाव वाक्य की क्रिया के वचन रूप पर पड़ता है।

सर्वनाम - कारक व्यवस्था :

संज्ञा शब्दों की भाँति ही सर्वनामों में (संबोधन के अतिरिक्त अन्य कारक मिलते हैं। कारकों के अव्यक्त तथा व्यक्त चिह्नों (पदबंधको) के आधार पर सर्वनामो के भी ऋजु / सरल तथा तिर्यक / विकृत रूप मिलते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। विभिन्न सर्वनाम शब्दों के ऋजु तथा तिर्यक रूप चार उपवर्गों में इस प्रकार बनते हैं -

उपवर्ग - १) मैं, हम, तू, तुम, आप की रूपावली
मैं - मैं, मैंने - मुझको (से / में / पर) मुझे, मेरा / मेरे / मेरी)

हम - हम, हमने (को / से / में / पर) तुझे, तेरा, तेरे / तेरी
तू - तू, तूने, तुमको (/से / में / पर), तुझे, तेरा / तेरे / तेरी

तुम - तुम, तुमने (/को / से / में / पर) तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी

आप - आप, आपने (को / से / में / पर) (का / के / की), अपने को (से / में / पर / का/ कि / की)

अवधारणा 'ही' का योग होने पर तिर्यक रूप 'मुझ', 'हम', तुझ, तुम, आप क्रमशः मुझी, हमी, तुझी, तुम्ही, आपही, आपने ही हो जाते हैं।

उपवर्ग - २

यह, वह, ये, वे की रूपावली -

यह - यह, इस ने (को / से / में / पर / का / कि / की) इसे।

वह - वह, उस ने (को / से / ने / पर / का / कि / की) उसे।

ये - ये, इन्हों ने, इन को (/से / में / पर / का / के / की) इन्हें।

वे - वे उन्हों ने उन को (से / में / पर / का / कि / के) उन्हें।

अवधारक 'ही' का योग होने पर तिर्यक रूप 'इस' उस, इन, क्रमशः इसी, उसी, इन्ही, उन्हीं, हो जाते हैं।

'इन' ने उन से अमानक / असाधु रूप हैं। अतः त्याज्य है।

उपवर्ग - ३

'कौन', 'जो', 'सो', की एकवचनीय, बहुवचनीय रूपावली -

कौन - कौन, किस ने (/को / से / में / पर / का / के / की) किसे क्या अपरिवर्तित

कौन, किन्होंने, किन को (/से / में / पर / का / के / की), किसे, किन्हें अपरिवर्तित

जो - जो, जिस ने (को / से / में / पर / का / कि / की) जिसे।

जो जिन्हों ने, जिन को (/से / में / पर / का / के / की) जिन्हें।

सो - सो, तिस ने (/को / से / में / पर / का / के / की, तिसे / सो, तिन्हों ने,
तिन को (से / में / पर / का / के / की) तिन्हें।

उपवर्ग - ४

कोई कुछ की रूपावली -

कोई - कोई, किसी ने (को / से / में / पर / का / कि, की)

कोई, किन्हीं ने (को / से / में / पर / का / कि / की)

कुछ - कुछ, कुछ ने (को / से / में / पर / का / कि / की)

कुछ, कुछ ने (को / से / में / पर / का / कि / की)

४.३.३ विशेषण - लिंग, वचन तथा कारक :

विशेषण शब्दों के वे ही लिंग वचन तथा कारक होते है, जो उनके विशेष्य के होते हैं - जैसे - तगड़ा, घोड़ा; तगड़े घोडे; तगड़ी घोड़ी, तगड़ी घोडियाँ। तगड़े घोड़े पर तगड़ी घोड़ों पर, तगड़ी घोडियों पर। विशेषण के लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव पदबंध तथा वाक्य स्तर पर पड़ता है। लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर रूपान्तर की दृष्टि से विशेषण शब्दों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है -

१) 'काला' वर्ग
२) 'सफेद' वर्ग

क) विकृत 'काला' वर्ग के विशेषण शब्दों का रूपान्तर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर होता है, जैसे - काला आदमी, काले आदमी, काली औरत, काली औरते, काले आदमी ने, काले आदमियों ने; काली औरत को, काली औरतों को।

ख) 'अविकृत' वर्ग के विशेषण शब्दों के रूप, लिंग, वचन कर्ता कारक, के आधार पर अविकृत रहते हैं, जैसे - सफेद रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ले, सफेद धोती, सफेद धोतियाँ, सफेद रसगुल्ले का, सफेद रसगुल्लों का; सफेद धोती पर, सफेद धोतियों पर।

इस वर्ग के कुछ अन्य शब्द हैं - कुरूप, गोल, चालाक, भारी, वजनी, सुन्दर, सुड़ौर, सुशील आदि।

विकृत 'काला' वर्ग के शब्दों में कुछ शब्द अपवाद हैं। ये शब्द रूपान्तर की दृष्टि से अविकृत रहते हैं। जैसे - जरा, नाना, बढ़िया, सवा।

सार्वनामिक विशेषण शब्द वचन तथा कारक के अनुसार उसी प्रकार रूपांतरित होते हैं जिस प्रकार वे सर्वनाम, शब्द - रूप में रूपान्तरित होते हैं। जैसे - यह बालक। लड़का; इस बालक / लड़के को; ये बालक / लड़के; इन बालकों / लड़कों को; वह लड़की / बालिका, उस लड़की / बालिका ने; उस लड़की / बालिका के लिए; उन लड़कियों / बालिकाओं के लिए।

इसी प्रकार - ऐसा, ऐसी, ऐसे, जैसा, जैसे, जैसी, मेरा, मेरे, मेरी, आपका, आपके, आपकी आदि।

संस्कृत से आगत कुछ विशेषण शब्दों को कुछ लोग विशेष्य के लिंग के अनुरूप प्रयोग करते देखे जा सकते हैं, जैसे - चंचल बालक / शिष्य / पुरुष / चंचला बालिका। शिष्या / नारी / बुद्धिमान, युवक, बुद्धिमती युवती। सुशील बालक सुशीला बालिका। हिन्दी में 'युवती', विदुषी, साहवी, सुन्दरी, सुशीला आदि शब्द संज्ञावत विशेषणवत् प्रयुक्त होते हैं।

कुछ संदर्भो में विशेष्य का लोप होने पर विशेषण शब्द का रूपान्तर संज्ञा, शब्दों के समान होता है, जैसे - बच्चों को बड़ों की बाते ध्यान से सुननी चाहिए। गोरों ने कालों का बहुत शोषण किया है।

विशेषण निर्माण :

रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं -

१) रूढ़ विशेषण मूलतः रूढ़ विशेषण शब्द होते है। इन विशेषण शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। जैसे - अच्छा, बुरा, लाल, काला, बहु, छोटा, नीच, एक, चार, यह, वह आदि।

२) यौगिक विशेषण - कुछ रूढ शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं - जैसे - धार्मिक, धनवान, प्यासा, इतना, जडाऊ, पढ़नेवाला आदि।

४.४ सारांश

प्रस्तुत इकाई में किसी भी भाषा को शुद्ध-शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा समझने का प्रयास छात्रों ने किया है। हिंदी की शब्द रचना में धातु, उपसर्ग, प्रत्यय और समास आदि को जाना है। साथ ही लिंग, वचन और कारक के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन किया है।

४.५ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

१) भाषा विज्ञान के आधार पर किस रूपों के दो भेद किए है ?
२) 'निरुक्त' नामक ग्रंथ के रचनाकार है-
३) संस्कृत व्याकरण का महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ का नाम बताईए ?
४) जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते है ?
५) समास की रचना में कितने पद होते है ?
६) सर्वनाम शब्दों का रूपान्तर मुख्यत: किसके आधार पर होता है ?
७) लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर विशेषण को किसके वर्गों में रखा जाता है ?

४.६ लघुत्तरीय प्रश्न

१) हिंदी की शब्द रचना को संक्षिप्त में लिखिए।
२) 'समास' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उदाहरणों पर प्रकाश डालिए ?
३) लिंग, वचन तथा कारक के संदर्भ में संज्ञा को स्पष्ट करें ?

४.७ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१) हिंदी की रूप रचना में शब्द रचना, धातू, उपसर्ग, प्रत्यय और समास पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
२) लिंग, वचन तथा कारक के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूपांतरण को स्पष्ट कीजिए।

४.८ संदर्भ ग्रंथ

१) हिंदी व्याकरण – कामता प्रसाद गुरू
२) भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
३) हिंदी व्याकरण प्रकाश – डॉ. ,महेंद्र कुमार राणा
४) हिंदी भाषा, व्याकरण और रचना – डॉ. अर्जुन तिवारी
५) हिंदी वर्तनी का विकास – अनिता गुप्ता

❖❖❖❖

munotes.in

५

देवनागरी लिपि

इकाई की रूपरेखा :

५.० इकाई की रूपरेखा
५.१ प्रस्तावना
५.२ देवनागरी लिपि : नामकरण
५.३ देवनागरी लिपि : उद्भव एवं विकास
५.४ देवनागरी लिपि की विशेषताएँ
५.५ देवनागरी लिपि का मानक रूप एवं त्रुटियाँ
५.६ सारांश
५.७ अतिलघुत्तरीय प्रश्न
५.८ लघुत्तरीय प्रश्न
५.९ दीर्घोत्तरी प्रश्न
५.१० संदर्भ ग्रंथ

५.० इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ के अध्ययन के बाद निम्नलिखित मुद्दों से आपका परिचय होगा -

- "भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा" के संदर्भ में देवनागरी लिपि से आपका परिचय होगा।
- देवनागरी लिपि के नामकरण, इतिहास और उद्भव की जानकारी प्राप्त होगी।
- देवनागरी लिपि के विकास क्रम से अवगत हो पाएँगे।
- विभिन्न विद्वानों के व्यक्तव्य से अवगत हो पाएँगे ।
- देवनागरी लिपि की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे ।
- देवनागरी लिपि से संबंधित त्रुटियाँ और उसके मानक रूप से परिचित हो पाएँगे ।

५.१ प्रस्तावना

देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाऐं लिखी जाती हैं। यह बायें से दायें लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे 'शिरोरेखा' कहते हैं।

munotes.in

संस्कृत,	पाली
हिन्दी,	मराठी
कोंकणी,	सिन्धी
काश्मीरी,	हरियाणी
डोंगली,	बुंदेली भाषा
खस,	नेपाली भाषाएँ
तूमांग भाषा,	गढवाली
बोडो,	अंगिका
मगही,	भोजपुरी
नागपुरी,	मैथिली
संताली,	बघेली
राजस्थानी भाषा	

और कई स्थानीय बोलियाँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दु भाषाएँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की १७५ से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है।

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ
ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ॐ
ऐ	ओ	औ			
तत्	त्वम्	असि			

क	ख	ग	घ	ङ़	च	छ
ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
ण	त	थ	द	ध	न	प
फ	ब	भ	म	य	र	ल
व	श	ष	स	ह		

५.२ देवनागरी लिपि : नामकरण

प्राचीन भारतीय लिपियों के अंतर्गत तीन लिपियों का अध्ययन किया जाता है -

१) सिंधु घाटी की लिपि
२) ब्राह्मी लिपि
३) खरोष्ठी लिपि

ब्राहमी लिपि के अंतर्गत ३५० ई. के बाद इसकी (ब्राह्मी) दो शैलियाँ हो जाती हैं - उत्तरी और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो पूर्वी

सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त से कुटिल लिपि विकसित हुई जो आठवीं सदी तक प्रयुक्त होती रहीं। इस कुटिल लिपि से नौवी सदी के लगभग नागरी का प्राचीन रूप जिसे प्राचीन नागरी कहा गया। इसका क्षेत्र उत्तरी भारत है, पर दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मिली है।

दक्षिण भारत में इसका नाम 'नागरी' न होकर 'नन्दिनागरी' है। प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, कैथी, राजस्थानी, मैथिली, बंगला, असमी आदि लिपियाँ विकसित हुई हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ जो पहले गुप्त लिपि फिर, कुटिल लिपि और अन्ततः १० वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी और बाद में आधुनिक देवनागरी का विकास हुआ। प्राचीन नागरी का प्रचार - प्रसार १६ वीं शताब्दी तक पाया जाता है।

ब्राह्मी लिपि - कुटिल लिपि - नागरी लिपि - देवनागरी लिपि है। "प्राचीन काल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इसका प्रचार एवं प्रसार था। मध्य देश की लिपि होने के कारण देवनागरी अत्यंत महत्वपूर्ण लिपि है। इसमें लिखित सभी के सभी प्राचीन लेख सातवीं- आठवीं शताब्दी के हैं। ग्यारहवीं शताब्दी तक यह लिपि पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी और उत्तरी भारत में सर्वत्र इसका बोलबाला था। गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में इसमें ताडपत्र पर लिखे हुए अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं।"

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने भी बताया है कि, "राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में इस काल के लिखे प्रायः समस्त शिलालेख, ताम्रपत्र आदि में नागरी लिपि ही पाई जाती है।"

विद्वानों में 'नागरी' शब्दार्थ में पर्याप्त मतभेद है। देवनागरी लिपि के नागर, नागरी या देवनागरी नाम पड़ने के अनेक कारण बताएँ गए है। संक्षेप में यहाँ विद्वानों के मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

- गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा।
- नगरों में प्रचलित होने के कारण यह 'नागरी - लिपि' कहलाई।
- कुछ लोगों के अनुसार ललित विस्तार में उल्लेखित नाम 'नाग-लिपि' ही 'नागरी' है, अर्थात् 'नाग' से नागर शब्द का संबंध है।
- तांत्रिक चिह्न 'देवनागर' से समानता के कारण इसे देवनागरी और फिर 'नागरी' कहा गया। इस मत के प्रतिपादक हैं - श्री. आर. श्यामशास्त्री
- दक्षिण भारत में इसका नाम 'नन्दिनागरी' होने के कारण इसका संबंध किसी 'नन्दिसार' नामक राजधानी से जोड़ा गया है।
- डॉ. उदयनारायण तिवारी का मत है कि देवभाषा संस्कृत के लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया, अतः उसका नाम देवनागरी पड़ा।

- श्री. आर. श्यामशास्त्री के मत का समर्थन डॉ. ओझाजी ने किया है। 'प्राचीन लिपि माला' पुस्तक में लिखा है - तांत्रिक समय में 'नागरी लिपि' नाम प्रचलित था।
- एक मतानुसार मध्ययुग में स्थापत्य की एक शैली नागरी थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों (प, भ, म) के कारण इसे नागरी कहा गया।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी का कहना है - 'ये मत कोरे अनुमान पर आधारित है, अत एवं किसी को भी बहुत प्रमाणिक नहीं माना जाता।' उपरोक्त मतों में से डॉ. उदयनारायण तिवारी का मत अधिक समुचित लगता है। फिर भी देवनागरी या 'नागरी' शब्द की व्युत्पत्ति का प्रश्न विद्वानों के सामने आज भी खड़ा है। हम आशा करते है कि आनेवाले दिनों में 'नागरी' शब्द की व्युत्पत्ति का संतोषजनक समाधान होगा।

५.३ देवनागरी लिपि : उद्‌भव और विकास

देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट (सातवीं - आठवीं शताब्दी) ने एक शिलालेख में किया है। डॉ. त्रिलोक नाथ सिंह ने 'सुगम भाषा विज्ञान' पुस्तक में लिखा है - "आठवीं शताब्दी के राष्ट्रकुट नरेशों के राज्य में इस लिपि का प्रचार था। बडौदा के ध्रुवराज के ९ वीं शती के राजकीय आदेशों में इसी लिपि का प्रयोग हुआ है। गुजरात में तो १७ वीं शताब्दी तक इसी का प्रचार था।"

विकासात्मक दृष्टि से देखा जाए तो नागरी के वर्णों में दसवीं शताब्दी से क्रमशः विकास होता रहा है। डॉ. ओझाजी के अनुसार - "ईस्वी सन् की दसवी शताब्दी उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की भाँति अ, आ, प, म, य, ष और स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु ग्यारहवी शताब्दी से वे दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाते हैं और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लंबा रहता है, जितनी की अक्षर की चौड़ाई होती है। ग्यारहवी शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी बन गई है। ई.स. बारहवीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि शायद एक ही रूप में चली आ रही हैं।"

वास्तव में ग्यारहवीं शताब्दी में नागरी लिपि का पर्याप्त विकास हो गया था और बारहवीं सदी की लिपि का वर्तमान रूप मिलता है फिर भी 'इ' और 'ध' की आकृति पुरानी है। दसवीं सदी के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बहुत अधिक भिन्न है। उदाहरण के लिए 'ऊँ' और 'ण' के रूपों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार 'अ' के आधुनिक रूप 'अ', 'अ' जिस प्रकार एक ही मूल के दो विकसित रूप हैं, आदि अनेक पहलुओं पर दृष्टि डाली जा सकती है।

नागरी लिपि के एक हजार वर्षों के जीवनकाल में प्राय: सभी अक्षरों में न्यूनधिक रूप में परिवर्तन मिलता है। इन परिवर्तनों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त डॉ. भोलानाथ तिवारी ने नागरी लिपि में कुछ महत्वपूर्ण बातों की और दृष्टिपात किया है, जो निम्नांकित है -

- सबसे महत्वपूर्ण बात है फारसी लिपि का प्रभाव। नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिंदुप्रधान लिपि कही जा सकती है। क्योंकि उसके अनेक वर्ण - चिह्न (जैसे - बे, पे, ते, से, रे, जे, फे, दाल-जाल, तोय-जोय, स्वाद - प्रवाद, ऐन - गैन, सीन - शीन) बिंदु के कारण ही उससे अलग-अलग है। नागरी लिपि में ऐसा कोई अंतर प्रायः नहीं रहा है। हाँ फारसी के प्रभाव ग्रहण करके कुछ परंपरागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए नागरी में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा है। ड - ड, ढ - ढ, क - क, ख - ख, ग - ग, ज - ज, फ - फ आदि नहीं मध्ययुग में कुछ लोग य - प दोनों को एक जैसा व - ब को व लिखने लगे थे। इस भ्रम से बचने के लिए कैथी लिपि में तो नियमित रूप से तथा कभी-कभी नागरी में भी 'य' के लिए तथा 'व' के लिए 'य' का प्रयोग होता रहा है।
- नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी का भी पड़ा है। पुराने प्र, ल आदि के स्थान पर अ, क या भी, भु आदि रूपों में सभी स्वरों के लिए 'अ' का ही कुछ लोगों द्वारा प्रयोग वस्तुतः मराठी का ही प्रभाव है।
- कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरेखा के बिना लिखते हैं। यह गुजराती लिपि का प्रभाव है। गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन लिपि है।
- अंग्रेजी पूर्ण प्रचार के बाद, ऑफिस, कॉलेज जैसे शब्दों में 'ऑ' को स्पष्टता लिखने के लिए नागरी लिपि में 'ऑ' का प्रयोग होने लगा है। यह प्रयोग अँग्रेजी के प्रभाव से आया है।
- नागरी लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या दो पाईयों या कभी-कभी वृत का विराम के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी विराम चिह्नों ने हमें प्रभावित किया है और पूर्णविराम को छोड़कर सभी चिह्न हमने अंग्रेजी से लिए हैं। यों कुछ लोग तो पूर्णविराम के स्थान पर भी पाई न देकर अँग्रेजी की तरह बिंदु का भी प्रयोग करते हैं।

५.४ देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। भारतीय संविधान ने इसे राजलिपि, राष्ट्रलिपि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की रचना इसी लिपि है। चाहे वह साहित्य उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का। देवनागरी अनेक आर्य भाषाओं की लिपि है। इसकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण यह माँग बढ़ती जा रही है कि समस्त भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होनी चाहिए। जब हम देवनागरी लिपि की तुलना संसार की अन्य लिपियों रोमन, अरबी आदि से करते हैं, तो पता चलता है कि उन लिपियों की अपेक्षा देवनागरी में कुछ ऐसे गुण या विशेषताएँ हैं जिसके फलस्वरूप उसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है।

देवनागरी के गुण एवं विशेषताएँ निम्नलिखित है :

१. देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि विद्यमान है।

२. प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिह्न होने चाहिए। एक के लिए चिह्न या अनेक के लिए एक लिपि चिह्न अवैज्ञानिकता की सूचक है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र एक-एक लिपि चिह्न है जबकि संसार की अन्य लिपियों में यह व्यवस्था नहीं है। जैसे रोमन और उर्दू। अँग्रेजी में C, Q, K तीन लिपि चिह्न है और उच्चारित 'क' एक ही है। उदाहरण Cat = कैट, Kite = काइट, Queen = क्कीन, Chemist = केमिस्ट, Box = बॉक्स। इस प्रकार रोमन लिपि में 'क' ध्वनि के लिए K, C, CH, CK, Q तो कभी अंशता X (BOX) का प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'श' के लिए (SH, SI) 'फ' के लिए (F, PH) आदि, उर्दू लिपि में भी 'स' ध्वनि के लिए तीन लिपि चिह्न है - 'से', 'स्वाद', 'सीन'। इसी प्रकार 'ज' के लिए 'जे' तथा 'जोय' इस प्रकार एक के लिए अनेक या अनेक के लिए एक लिपि चिह्नों का प्रयोग अवैज्ञानिकता के सूचक हैं।

३. देवनागरी लिपि में वर्णों के उच्चारण निश्चित है। इसके विपरित रोमन लिपि में लिखा कुछ जाता है और उसका उच्चारित रूप अलग ही है। जैसे अँग्रेजी में 'पाँच' ध्वनि है। इसका एक शब्द में, उच्चारण 'उ' (Put) होता है तो दूसरे में 'अ' (But) उच्चारण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि विशिष्ट लिपि चिह्न वैज्ञानिकता के सूचक हैं। एक लिपि चिह्न से अनेक ध्वनियों की अभिव्यंजना और एक ध्वनि के लिए अनेक संकेतो का प्रयोग लिपि का बहुत बड़ा दोष है। देवनागरी इस दोष से मुक्त है।

४. देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अर्थात देवनागरी में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। जबकि संसार की अन्य लिपियाँ ऐसी भी है जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण ही नहीं किया जाता है। रोमन लिपि में Knowledge का उच्चारण नॉलेज होता है। इसमें KWD तथा अन्य ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं होता। इसी प्रकार night, half शब्द हैं।

५. देवनागरी लिपि के अक्षरों का वर्गीकरण वैज्ञानिक रीति से किया जाता है। नागरी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के नाम से अभिहित है। यूरोपीय और अरबी आदि लिपियों की भाँति स्वर और व्यंजन को एक साथ नहीं मिला दिया गया है। नागरी में स्वरों का ह्रस्व और दीर्घ विभाजन अत्यंत वैज्ञानिक है। व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार वर्गीकरण नागरी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

१) कंठ्य - क, ख, ग, घ, ङ
२) तालण्य - च, छ, ज, झ, ञ
३) मूर्धन्य - ट, ठ, ड, ढ, ण
४) दंत्य - त, थ, द, ध, न
५) ओष्टय - प, फ, ब, भ, म

६. देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर पंक्तिबद्ध बिठाए गए हैं। जैसे ध्वनियाँ कंठ्य से शुरु होकर ओष्ठों तक संपन्न होती हैं।

७. नागरी लिपि में रोमन वर्णों के समान छोटे-बड़े तात्पर्य, कैपिटल - स्माल वर्णों के अलग-अलग रूपों की उलझन नहीं हैं जैसे - AB / ab आदि।

८. नागरी का वर्तमान स्वरूप गुणों के प्रयोग पर आधारित है, इस कारण इसे दीर्घ परंपरा का बल प्राप्त है।

९. थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर देने पर संसार की कोई भी भाषा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है।

१०. देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन आदि ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया गया है। इसके पीछे एक सुनिश्चित सिद्धांत या नियम है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का अंतर उनकी आकृति में थोड़ा परिवर्तन करके किया जाता है।

११. देवनागरी लिपि अत्यंत गत्यात्मक और व्यावहारिक लिपि है। इसने अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषाओं के ध्वनि चिह्नों को लिया है। पहले इसमें जिह्वा मूल ध्वनियों (क, ख, ग, ज़, फ) नहीं थी परंतु आवश्यकतानुसार बाद में अपनायी गयी है।

१२. अँग्रेजी में एक ध्वनि के लिए दो चिह्नों का योग करना पड़ता है। जैसे - 'ख' के लिए KH घ के लिए GH। इनके उच्चारण भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी अवस्था देवनागरी में लगभग नहीं है।

१३. इस लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुगठित ढंग से लिखे जाते है। इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान कम घेरता है। जैसे - देवनागरी लिपि में 'महेश्वर' की अपेक्षा अँग्रेजी में लिखित Maheshwara अधिक स्थान घेरता है।

१४. देवनागरी लिपि सुपाठ्य एवं संदेह रहित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक संकेत से दूसरे संकेत का भ्रम हो जाए।

१५. देवनागरी लिपि अक्षरात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों है।

१६. देवनागरी लिपि वर्ण विभाजन की दृष्टि से वैज्ञानिक है। अघोष और घोष तथा अल्पत्राण और महाप्राण की दृष्टि से इस लिपि की अपनी वैज्ञानिकता है। हर वर्ग के प्रथम, द्वितीय अघोष तथा तृतीय चतुर्थ घोष हैं। इसी प्रकार हर वर्ग की प्रथम, तृतीय अल्पप्राण, तथा द्वितीय, चतुर्थ महाप्राण होते हैं। यह वैज्ञानिक विभाजन अन्य लिपियों में देखने को नहीं मिलता।

१७. कोई भी लिपि टंकन में सरल और कम खर्चीली होनी चाहिए। यह विशेषता या गुण देवनागरी में है।

१८. देवनागरी लिपि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक, हरियाणा से बिहार तक होता है।

१९. देवनागरी में छोटे-बड़े वर्ण नहीं होते, प्रायः उनकी आकृती बराबर होती है। रोमन लिपि में कोई वर्ग ऊपर तो कोई नीचे लिखा जाता है।

२०. लिखने में त्वरा भी लिपि का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण गुण है। आशुलेखन की दृष्टि से भी लिपि अनुकूल होनी चाहिए। देवनागरी में त्वरा और आशुलेखन की क्षमता है।

२१. देश की समस्त प्रादेशिक भाषाओं से देवनागरी का पारिवारिक संबंध है। डॉ. बाबुराम सक्सेना के शब्दों में भारत की समस्त लिपियों का उद्‌भव एक सामान्य स्त्रोत से हुआ है और वह स्त्रोत ब्राह्मी लिपि है।

munotes.in

२२. अनुनासिक ध्वनि के लिए वर्ग का पंचम वर्ण देवनागरी लिपि की अपनी विशेषता है। पाणिनी सूत्र के आधार पर कङ्गन चञ्चल, दण्ड और कम्पन जैसे शब्दों में 'ग' से पूर्व 'ड़', 'च' से पूर्व 'ञ' 'ड' से पूर्व 'ण', 'त' से पूर्व 'ण' तथा 'प' से पूर्व 'म' की सुनियोजना अत्यंत सुनिश्चित और वैज्ञानिक थी।

२३. देवनागरी लिपि में चिह्न पर्याप्त है। इस लिपि में कुल मिलाकर (स्वर-व्यंजन) ५७ ध्वनियों का प्रयोग होता है। इतने पर्याप्त चिह्नों के बलबूते पर ही, देवनागरी लिपि विश्वभर की लिपियों में एक अद्वितीय स्थान की अधिकारिणी कही जाती है।

साराशंतः देवनागरी लिपि सभी लिपियों की तुलना में अधिक सरल वैज्ञानिक तथा देश की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल है।

५.५ देवनागरी लिपि : मानक रूप और त्रुटियाँ

देवनागरी लिपि की त्रुटियाँ :

अभी तक हमने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषताओं पर विचार किया। उपरोक्त विवेचन का यह तात्पर्य नहीं है कि देवनागरी सर्वथा दोषमुक्त एवं पूर्ण लिपि है। उसमें कुछ दोष तथा त्रुटियाँ भी हैं। वे निम्नलिखित है।

१. इसकी कुछ ध्वनियों का मूल उच्चारण अब यथावत नहीं रह गया हैं, किंतु उनका प्राचीन चिह्न ज्यों का त्यों व्यवहार में ला रहे हैं। जैसे - 'ऋ'। 'ऋ' का उच्चारण रि होता है, किन्तु ऋषि, ऋतु आदी शब्दों में लिखे वही पुराने चिन्ह जा रहे हैं। लगभग यही स्थिति 'ष' की है। इसका उच्चारण भी 'स' या 'श' हो गया है किंतु लिपि चिह्न यथावत है।

२. अनुनासिक वर्णो : ङ, ञ, का कार्य केवल (ं) अनुस्वार चिन्ह से ही चल सकता है। अतएवं लिपि में उनका व्यवहार व्यर्थ ही प्रतीत होता है।

३. संयुक्त व्यंजन 'ज्ञ' का उच्चारण अब 'ग्य' हो गया है। अतएवं इसके अनुसार लिपि चिह्न में भी परिवर्तन होना चाहिए।

४. 'ख' लिपि चिह्न पढ़ने में प्रायः भ्रांति होती है। खाना को रवाना भी पढ़ा जा सकता है।

५. एक ही 'र' ध्वनि के लिए चार लिपि चिह्नों के कारण परेशानी होती है। जैसे - रमेश, कार्य, पत्र, कृष्ण, राष्ट्र, क्रिया आदि शब्दों के आगे, ऊपर, नीचे, बीच में या अंत में 'र' ध्वनि है। एक 'र' के इतने उपवर्ण हैं। अतः अलग-अलग लिपि चिह्न होने चाहिए।

६. इस लिपि की प्रमुख अनियमितता मात्राओं की है। इसमें कोई मात्रा आगे - राम, कोई पहले - कि कोई बाद में - की, कोई ऊपर - में कोई नीचे कु आदि।

७. देवनागरी लिपि में अनेक शब्दों के लेखन में ध्वनियों का प्रयोग होता है और उच्चारण में कुछ और। जैसे धर्म में पाँच ध्वनियाँ हैं - ध्, अ, र, म्, अ किंतु लेखन में केवल तीन रह जाता है। ध्, र, म

८. देवनागरी लिपि में एक वर्ण को दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे - श, श, झ, भ्म, अ, प्र, ल - ल

९. देवनागरी लिपि में शिरोरेशा जहाँ लिखने में बाधक होती है, वहीं इसके अनेक वर्णो के पढ़ने, लिखने की भ्रांति होती है। शिरोरेखा के इधर, उधर हो जाने पर 'भरा', 'मरा' तथा 'घड़ा', 'धड़ा' होने की संभावना है।

देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप :

अ) मानकीकृत देवनागरी वर्णमाला :

१) स्वर - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

२) अनुस्वार - अं

३) विसर्ग - अः

४) व्यंजन—

क,	ख,	ग,	घ,	ङ	कंठय
च,	छ,	ज,	झ,	ञ	तालव्य
ट,	ठ,	ड,	ढ,	ण	मूर्धन्य
त,	थ,	द,	ध,	न	दन्त्य
प,	फ,	ब,	भ,	म	ओष्ठ्य
य,	र,	ल,	व		अन्तस्थ
श,	ष,	स,	ह		उष्म
क्ष,	त्र,	ज्ञ,	श्र		संयुक्त व्यंजन
ङ	ढ़				द्विगुण व्यंजन

नोट :

- देवनागरि लिपि में कुल ५२ वर्ण है।
- देवनागरि लिपि में ११ स्वर है।
- अनुस्वार, विसर्ग को 'आयोगवाह' कहा जाता। इनकी संख्या २ है।
- व्यजंनो की कुल संख्या ३९ है।
- व्यंजनों में से ४ संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन है।
- ११ स्वर + २ आयोगवाह + ३९ व्यंजन = ५२ वर्ण
- कोई भी वर्ण दो प्रकार से नहीं लिखा जाएगा।

लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषमरूपता को दूर कर उसमें एकरूपता लाना ही मानकीकरण है।

लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है -

१. एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिह्नों में से एक को मान्यता दी जाती है। यथा - देवनागरी लिपि में निम्न प्रकार वर्ण द्विविध प्रकार से लिखे जाते है।

अ झ ल ध भ ण

इनमें से प्रथम पंक्ति में लिखे हुए वर्ण ही मान्य है। द्वितीय पंक्ति के वर्ण अमान्य है।

munotes.in

२. ध्वनियों के उच्चारण में भी एकरूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग-अलग ढंग से ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं।

यथा : पैसा, पइसा, पाइसा, इनमें से पहला उच्चारण 'पैसा' ही मानक है, शेष दो उच्चारण ठीक नहीं है।

५.६ सारांश

प्रस्तुत इकाई में देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि हैं। इस लिपि के अंतर्गत अनेक भाषाएँ लिखि जाती है। इसमें लिपी का नामकरण, उसका उद्भव एवं विकास आदि को जान सके हैं। इसके साथ ही देवनागरी लिपि की विशेषताओं से छात्र परिचित हुए है। उसका मानक रूप, एवं त्रुटियाँ को विस्तार से जान सके हैं।

५.७ अतिलघुत्तरीय प्रश्न

१) प्राचीन भारतीय लिपि के अंतर्गत कितने लिपियों का अध्ययन किया जाता है ?

२) दक्षिण भारत में नागरी को क्या कहाँ जाता है ?

३) देवनागरी लिपि किस शताब्दी में विकसित हुई ?

४) नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षर है -

५) देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा ने किया ?

६) देवनागरी लिपि में एक वर्ण को कितने प्रकार से लिखा जाता है ?

७) उष्म व्यंजन है -

८) देवनागरी लिपि में अयोगवाह की संख्या है -

९) देवनागरी लिपि में कुल वर्ण है -

१०) भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को किस पद पर प्रतिष्ठित किया है ?

५.८ लघुत्तरीय प्रश्न

१) देवनागरी लिपि के विकास की चर्चा कीजिएँ।

२) देवनागरी लिपि की विशेषताएँ लिखिए।

३) ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करें ?

munotes.in

५.९ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१) देवनागरी लिपि के नामकरण की चर्चा करते हुए उद्भव एवं विकास को विस्तार से स्पष्ट कीजिए।
२) देवनागरी लिपि की विशेषताओं के साथ मानक रूप तथा त्रुटियाँ अपने शब्दों में विश्लेषित करें ?

५.१० संदर्भ ग्रंथ

१) हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास - डॉ. उदय नारायण तिवारी
२) भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख
३) राजभाषा हिंदी - कैलाशचंद्र भाटिया
४) हिंदी भाषा का इतिहास - डॉ. भोलानाथ तिवारी
५) सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबुराव सक्सेना
६) नागरी लिपि : रूप और सुधार - मोहन ब्रज
७) भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
८) देवनागरी विमर्श - सं. शैलेंद्रकुमार शर्मा

❖❖❖❖

munotes.in